

Fifteenth Lok Sabha
III Session (19/11/2009 to 18/12/2009)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 19 नवम्बर, 2009/28 कार्तिक, 1931 (शक)

संख्या 34

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्र गान

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।

2. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्रम सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/ प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री राज बब्बर	फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश	प्रतिज्ञान	हिन्दी
2.	श्री चार्ल्स डिएस	नामनिर्दिष्ट	—	शपथ	अंग्रेजी
3.	श्रीमती इन्ड्रिड मैकलोड	नामनिर्दिष्ट	—	प्रतिज्ञान	अंग्रेजी

पूर्वाह्न 11.05 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री नकली सिंह; सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री यशवंतराव मोहिते; नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य

डा० वार्ड० एस् राजशेखर रेड्डी; चौथी, पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य प्रो० शेर सिंह; पांचवीं लोक सभा और सातवीं से नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री राव बीरेन्द्र सिंह; नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री प्यारेलाल खंडेलवाल; छठी लोक सभा के सदस्य श्री कचरू लाल हेमराज जैन; बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री बिक्रम केशरी देव तथा ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री पर्वथानेनी उपेन्द्र के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने 21 अक्टूबर, 2009 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट गोवा एक्सप्रेस और मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेनों के बीच हुई रेल दुर्घटना में 22 व्यक्तियों की मौत के बारे में उल्लेख किया। 14 नवम्बर, 2009 को राजस्थान के दौसा जिले में मंडोर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने, जिसके परिणामस्वरूप 7 लोगों की जानें गईं और इसमें 21 व्यक्ति घायल हुए, के बारे में उल्लेख किया गया।

उन्होंने 30 सितम्बर, 2009 को केरल के इदुक्की जिले की थेकाडी झील में नाव के पलटने की दुःखद घटना जिसमें 45 पर्यटकों की मौत हुई और 4 नवम्बर, 2009 को केरल के मल्लापुरम जिले में चलियार नदी में हुई अन्य नाव दुर्घटना जिसमें 8 स्कूली बच्चों की मौत हुई, का भी उल्लेख किया।

उन्होंने 8 अक्टूबर, 2009 को महाराष्ट्र के गडचिरोली में लाहरी पुलिस स्टेशन पर हुए नक्सली हमले जिसमें 17 पुलिस कर्मियों की मौत हुई; और 26 सितम्बर, 2009 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में भानपुरी के निकट हुए इसी तरह के हमले जिसमें बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के माननीय सदस्य श्री बलीराम कश्यप के पुत्र की मृत्यु हुई, का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.29 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत हुई)

4. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1-20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1-226 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1)(एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
 - (दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (1) राष्ट्रपति द्वारा 14 अक्टूबर, 2009 को प्रख्यापित प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 6)
 - (2) राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्टूबर, 2009 को प्रख्यापित झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 7)
 - (3) राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्टूबर, 2009 को प्रख्यापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 8)
 - (4) राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्टूबर, 2009 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 9)

अपराह्न 12.01 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है और जो उन्हें रखने के इच्छुक हैं, वे तत्काल सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां सौंप दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनकी पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हुई हैं। शेष को व्यपगत हुआ समझा जाएगा।”

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा लाभकारी मूल्य पर धान की खरीफ में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एस०एस० रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु में समुद्र की लहरों से होने वाले अपरदन को रोकने के लिए तिरुनेलवेली जिले के समुद्र तट पर ग्राइड के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई शुरू किए जाने और गन्ना उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मोरार कैन्टोन्मेंट के अंतर्गत नागरिकों द्वारा बसे हुए क्षेत्रों को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक नागरिक क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री ए० सम्पत द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पुआर में एक अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.01 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2009/29 कार्तिक, 1931 (शक)

संख्या 35

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21—40 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 227—456 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 298(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 547(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2009, जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 548(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009, जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 610(अ) जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 5 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं० सांकांनि 13(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।
- (दो) सांकांनि 611(अ) जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 25 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं० सांकांनि 209(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।
- (तीन) सांकांनि 612(अ) जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 15 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं० सांकांनि 91(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।
- (3) (एक) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2008-09 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) 'होमी भाभा की जन्म शताब्दी वर्ष' के अवसर पर ढाले गए एक सौ रुपए और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2009 जो 17 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 577(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) 'सेंट अल्फोंसा की जन्म शताब्दी' की स्मृति में ढाले गए एक सौ रुपए और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2009 जो 12 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सेवाओं का निर्यात (संशोधन) नियम, 2009, जो 19 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 583(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि० 617(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के रेल परिवहन को कर योग्य सेवाओं से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि० 618(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि० 619(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के राष्ट्रीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जल और तटवर्ती पोत परिवहन मार्ग से परिवहन को कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि० 625(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सब-ब्रोकरों को बीएस से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि० 626(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भेषज उत्पाद, दवा, सुगंधित द्रव्य, कॉस्मेटिक अथवा अल्कोहल युक्त प्रसाधन निर्मितियां जिन पर औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत

उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, को बीएस के अंतर्गत कर योग्य सेवा से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) सांकांनि 627(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा रेल से माल के परिवहन को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 628(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 634(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 16/2009-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 654(अ) जो 9 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 28/2009-सेवा-कर को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदान की गई और भारत में प्राप्त) दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 694(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सेवाओं का निर्यात (दूसरा संशोधन) नियम, 2009, जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 695(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांकांनि 696(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के निर्माण या प्रसंस्करण के दौरान सेवा प्राप्तकर्ता के लिए या उसकी ओर से उतने मूल्य से जो उन आदानों, जो उसी सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त हुए हों, के मूल्य के बराबर हो, पूंजीगत माल को छोड़कर, कतिपय शर्तों के अधधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति

को प्रदत्त कर योग्य सेवा से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौदह) सांकांनि 712(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 17/2009-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) सांकांनि 776(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य और उद्योग के प्रयोजनार्थ मुख्य रूप से उपयोग की गई नहरों से अलग नहरों के संबंध में कर योग्य सेवा से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (6) वित्त अधिनियम, 2009 की धारा 113 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि 584(अ) जो 19 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 557(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ओमान, सऊदी अरबिया और सिंगापुर में उद्भूत या वहां से निर्यातित पॉलीप्रोपिलीन के सभी आयातों पर विनिर्दिष्ट दरों से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 558(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, रूस और थाईलैंड में उद्भूत या वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में उपयोग में लाए जाने वाले कार्बन ब्लैक के सभी आयातों पर विनिर्दिष्ट दरों से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 564(अ) जो 4 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित टाईटनियम डॉयक्साईड, एनाटेस ग्रेड के सभी आयातों

पर विनिर्दिष्ट दरों से लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सांकांनि 604(अ) जो 27 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डायमेट्रो टेक्नीकल के आयात पर उसमें उल्लिखित दर से अंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 605(अ) जो 27 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 25/2009-सीमा-शुल्क का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि 621(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और चीनी ताईपेई में उद्भूत या वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा के फलस्वरूप उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि 702(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 75/2006-सीमा-शुल्क का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 709(अ) जो 29 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीनी ताइपे (ताइवान) और संयुक्त अरब अमीरात में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सन/डस्ट कंट्रोल पालिएस्टर फिल्म के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा के परिणामस्वरूप उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 713(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना

संख्या 109/2004-सी०शु० को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दस) सा०का०नि० 720(अ) जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 107/2004-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा०का०नि० 724(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 104/2004-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा०का०नि० 734(अ) जो 8 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैण्ड और श्रीलंका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड' के आयातों पर प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई दूसरी निर्णायक समीक्षा जांचों में अंतिम निष्कर्षों पर आधारित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा०का०नि० 749(अ) जो 13 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 105/2004-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा०का०नि० 758(अ) जो 16 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से आयातित फास्फोरस पेन्टाक्लोराइड के आयातों पर विनिर्दिष्ट दरों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) सा०का०नि० 759(अ) जो 16 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित स्टाइरीन बुटाडीन रबड़ 1900 सीरिज के आयातों पर प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांचों के पूरा होने तक,

27 जून, 2010 तक तथा उसके समेत प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सोलह) सांकांनि 792(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बेलारूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसरण में अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क की तारीख अथवा 29 अप्रैल, 2009 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सांकांनि 797(अ) जो 5 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयात के समय सोडा भस्म के आयातों पर अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए 20% मूल्यानुसार की दर से अंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है जो 19 अप्रैल, 2010 तक और उसके समेत प्रभावी रहेगी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 657(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा प्रदाताओं द्वारा भारत से प्रदान की गई सेवा योजना के अंतर्गत जारी शुल्क क्रेडिट पर्ची के एवज में आयातित कतिपय माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 658(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत जारी शुल्क क्रेडिट पर्ची के एवज में आयातित कतिपय माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 659(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फोकस मार्केट स्कीम के अंतर्गत जारी शुल्क क्रेडिट पर्ची के एवज में आयातित कतिपय माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 660(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना

के अंतर्गत जारी एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्सैटिव स्क्रिप्ट के एवज में आयातित विनिर्दिष्ट पूंजीगत माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) सांकांनि 661 (अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत जारी शुल्क प्रत्यय प्रमाण पत्रों के एवज में आयातित वस्तुओं को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि 662 (अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एडवांस अर्थोराइजेशन स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के एवज में आयातित सामग्रियों को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि 664(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अर्थोराइजेशन स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के एवज में आयातित सामग्रियों को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 665(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एडवांस अर्थोराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के एवज में वार्षिक आवश्यकता के लिए भारत में आयातित सामग्रियों को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 666(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों में अवस्थित सामान्य सेवा प्रदाताओं के लिए 3. की शुल्क की दर से पूंजीगत माल के आयातों को अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनि 667(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों में अवस्थित सामान्य सेवा प्रदाताओं के लिए शून्य शुल्क पर पूंजीगत माल के आयातों को अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (ग्यारह) सांकांनिं 668(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत शून्य शुल्क पर पूंजीगत माल के आयातों को अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकांनिं 669 (अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत 3% शुल्क पर पूंजीगत माल के आयातों को अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांकांनिं 674 (अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा स्टेट्स होल्डर इन्सेन्टिव स्क्रिप के एवज में आयातित पूंजीगत माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांकांनिं 675(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सांकांनिं 559(अ) जो 31 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सांकांनिं 567(अ) जो 6 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सांकांनिं 644(अ) जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अंटार्कटिका से भारत में आयातित सभी वस्तुओं को, यदि उक्त वस्तुएं भारतीय अंटार्कटिक अभियान अथवा इंडियन पोलर साइंस प्रोग्राम के लिए प्रयुक्त की गई हैं या उनसे संबंधित हैं, को कतिपय शर्तों के अध्ययधीन सम्पूर्ण सीमा-शुल्क और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (अठारह) सांकांनिं 697(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 67/2006-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सांकांनिं 698(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 68/2006-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सांकांनिं 701(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 154/1994-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सांकांनिं 710 (अ) जो 29 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एडवांस अर्थोराइजेशन स्कीम फॉर डीमड एक्सपोर्ट के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के एवज में आयातित सामग्रियों को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सांकांनिं 751(अ) जो 14 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सांकांनिं 663 (अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ड्यूटी एग्जैम्पशन पासबुक स्कीम के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट पर्ची के एवज में आयातित माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2009 जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआं 2227(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (10) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48, 117 और 139 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 2292 (अ) जो 9 सितम्बर, 2009 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का०आ० 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का०आ० 2413(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1281 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 2480(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र, बेंगलूरु) को मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलूरु, कर्नाटक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का०आ० 2481(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर आयुक्त (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र, बेंगलूरु) को मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र, बेंगलूरु) के अधीनस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का०आ० 2482(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र, बेंगलूरु) को आयकर आयुक्त (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र, बेंगलूरु) के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्य का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का०आ० 2483(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर आयुक्त (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र, बेंगलूरु) को उन सभी मामलों, जिनमें आयकर विवरणी (एक) जहां धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत मूल विवरणी कागज फार्म में प्रस्तुत की गई है उसे छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक फार्म, तथा (दो) कागज फार्म में प्रस्तुत किए गए हैं, के संबंध में ऐसी विवरणी पर

अधिकार क्षेत्र वाले कर्नाटक राज्य और गोवा राज्य में मौजूदा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (11) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सेनवेट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 645(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि० 571(अ) जो 12 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि० 623(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि० 578(अ) जो 18 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा शीर्ष संख्या 1905 के अंतर्गत बेकर वेयर्स बनाने वाले सनी मिट्टी को 28.2.2005 से 27.5.2008 तक की अवधि के दौरान कतिपय शर्तों के अध्यधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 9क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि० 12(अ) जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 1993 स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो की नवनिर्मित क्षेत्रीय इकाइयों सहित, में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) का०आ० 2862(अ) से का०आ० 2864(अ) जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तटरक्षक (राजपत्रित रैंक) के अधिकारियों को अनन्य आर्थिक जोन में समुद्र के रास्ते ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध यातायात को रोकने के लिए कार्रवाई करने हेतु शक्ति प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) एम०पी० अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एम०पी० अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 4 जून, 2009 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखे:—

- (1) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2009;
- (2) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009;
- (3) झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009;
- (4) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009;
- (5) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009; और
- (6) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रति भी सभा पटल पर रखी।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने जयपुर, राजस्थान के सांगानेर में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के पीओएल डिपो में आग की घटना के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 23 नवम्बर, 2009 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

6. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4 (ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य,

ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि भारत की क्षय रोग संस्था के नियमों के नियम 3(vii) (क) और विनियमों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए उपनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.04 बजे

(लोक सभा सोमवार, 23 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 23 नवम्बर, 2009/2 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 36

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट कथित रूप से लीक होने के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने एक अग्रणी समाचार-पत्र में लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट कथित रूप से लीक होने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री लालकृष्ण आडवाणी
2. श्री मुलायम सिंह
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री बसुदेव आचार्य
5. श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री पी० चिदंबरम ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 42—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 457—671 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.27 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) सांकांनि 601(अ) जो 27 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
 - (दो) सांकांनि 766(अ) जो 20 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
 - (तीन) सांकांनि 685(अ) जो 17 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
 - (चार) सांकांनि 689(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
 - (पांच) सांकांनि 684(अ) जो 17 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
- (2) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 49 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ० संख्या सी०3/9/2008-एसईजेड जिसके द्वारा विशेष आर्थिक जोनों में, जो अपतटीय बैंककारी इकाइयों के रूप में लाइसेंसशुदा नहीं हैं, बैंकों द्वारा ऑफसाइट एटीएम और सामान्य शाखाएं स्थापित किए जाने को विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (प) के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है, तथा उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

- (दो) प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ० संख्या डी०6/12/2009-एसईजेड जिसके द्वारा विशेष आर्थिक जोनों को वितरण लाइसेंस अभिप्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है, तथा उद्देश्यों और कारणों का कथन तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 24 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2155(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 24 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2156(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (4) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त चाय संवर्धन निदेशकों की भर्ती और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2007 जो 23 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०कार्नि० 443(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 2009 जो 16 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०कार्नि० 760(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) आईएलओ कन्वेक्शन संख्या 127 और सिफारिश संख्या 128 (अधिकतम भार) संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) एचआईवी/एड्स तथा वर्ल्ड ऑफ वर्क संबंधी राष्ट्रीय नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मदन लाल शर्मा ने राष्ट्रीय धरोहर-स्थल आयोग विधेयक, 2009 के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 150वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6.* कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन — “सौर भारत” के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री वी० नारायणसामी की ओर से श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संकल्प संख्या 9/2/2008-ईई (सीएबीए) दिनांक 15 सितम्बर, 2009, के पैरा XVIII के उपबन्ध के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीय केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड (सीएबीए) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.04 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री राम किशुन द्वारा मुगलसराय रेल मंडल, उत्तर प्रदेश के रेलवे जोन में नागरिक सुविधाओं के रख-रखाव के लिए रेल अनुदानों से निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.04 बजे

- (2) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा के लिए आपदा राहत कोष की सहायता दर को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (3) श्री एम०बी० राजेश द्वारा केरल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (4) श्री पी० लिंगम द्वारा तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में दरार पड़ी हुई नहर 'कन्नियामथागु' की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (5) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा उड़ीसा में जिन किसानों की फसलें सूखे के कारण क्षतिग्रस्त हो गईं, उनके द्वारा लिए गए कृषि ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (6) श्री प्रबोध पांडा द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे में गिरि मैदान से होते हुए खड़गपुर और गोकुलपुर के बीच रेल लाईन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (7) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निधियां बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (8) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के व्यथित किसानों के लिए जारी किए गए वित्तीय पैकेज की समुचित निगरानी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)*

अपराहन 2.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 24 नवम्बर, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 24 नवम्बर, 2009/3 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 37

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—67 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 68—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 672—901 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए—

- (1) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-डैनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-डैनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2009 जो 16 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 682(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्रों का निर्गमन) संशोधन नियम, 2009 जो 9 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 803(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) उड़ीसा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उड़ीसा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) नेशनल लेबर कोऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल लेबर कोऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2009 जो 9 सितंबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2286(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2009 जो 16 सितंबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2390(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (27) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् (सामान्य) संशोधन विनियम, 2009 जो 5 सितंबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 12-3/2008-वीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की नियत अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (29) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2009 जो 2 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 380(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 20 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 591(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) उर्वरक नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 5 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 401(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञापन अपेक्षा, स्टॉक लिमिट्स और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (संशोधन) आदेश, 2009 जो 9 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 649(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर (अनुज्ञापन अपेक्षा, स्टॉक लिमिट्स और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (पांचवां संशोधन) आदेश, 2009 जो 2 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 1621(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (32) उपर्युक्त 31 की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) कांआ 2114(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (दो) का०आ० 2243(अ) जो 3 सितंबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2473(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (तीन) का०आ० 2534(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (कलमबोली-मुम्ना खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, रायगढ़ (आई), अलीबाग (मुख्यालय) को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2535(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (कलमबोली-मुम्ना खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (एमआईडब्ल्यू), ठाणे को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (पाँच) का०आ० 2537(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-धुले खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार-छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 1628(अ) जो 4 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 (कोझीकोड-कोल्लेगल खण्ड) पर काबिनी नदी पर बड़े पुल के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 1629(अ) जो 4 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलोर-ओल्ड मद्रास खण्ड) पर सड़क अंडरब्रिज के अतिरिक्त निकास के पहुँच मार्गों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 1732(अ) जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63

(अंकोला-गूटी खण्ड) पर वे-इन-मोशन-कम-ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर-कम क्लासीफायर लगाए जाने के कार्य के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (नौ) का०आ० 1733(अ) जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (बंगलौर-मंगलोर खण्ड) पर वे-इन-मोशन-कम-ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर-कम क्लासीफायर लगाए जाने के कार्य के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 2277 (अ) जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 218, 63 और 4 को जोड़ते हुए हुबली सिटी के बाईपास के निर्माण के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी और राज्य अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, धारवाड़ को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 1345(अ) जो 26 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट, संत रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 1665(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 295(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेरह) का०आ० 1694(अ) जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 579(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौदह) का०आ० 1695(अ) जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने, चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 1771(अ) जो 20 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 931(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का०आ० 2214(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर धुले-नागपुर सड़क के नशीराबाद गांव के निकट पहुंच मार्गों सहित नदी उपरि पुल के निर्माण की परियोजना हेतु दावों के कारण रियायत अवधि बढ़ाए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 2666(अ) जो 22 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 पर सिन्नार कस्बे के बाहर बाईपास के निर्माण (चौड़ा करने, चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(34) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (3) की उपधारा (4) के अंतर्गत लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उस पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों के हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'सूखा प्रबंधन, खाद्यान्न उत्पादन और मूल्य स्थिति' विषय के बारे में पहला प्रतिवेदन;
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'सूखा प्रबंधन, खाद्यान्न उत्पादन और मूल्य स्थिति' विषय के बारे में दूसरा प्रतिवेदन; और
- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'वार्षिक प्रतिवेदन के खण्ड-II के मुद्रण को बंद किया जाना' विषय के बारे में 19वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सी०आर० पाटील ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 203वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'टेलीविजन ऑडिअन्स मेज़रमेंट इन इंडिया' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. कयर बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री दिनशा पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, कयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

8. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 23 नवम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009।

(दो) संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 243न का संशोधन)।

10. अध्यादेश संबंधी विवरण—सभा पटल पर रखा

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 8) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.08 बजे

11. * सदस्य द्वारा निवेदन

देश में रासायनिक उर्वरकों और बीजों की कमी के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

श्री रामकिशुन ने देश में रासायनिक उर्वरकों और बीजों की कमी के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में निवेदन किया।

श्री जगदम्बिका पाल सहयोजित हुए।

श्री वी० नारायणसामी ने उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.23 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्रीमती संतोष चौधरी ने होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में टांडा रेल ऊपरि पुल को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (2) श्री के० सी० वेणुगोपाल ने केरल में कयर उद्योग को पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर कयर फाइबर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री ए० ए० रामासुब्बू ने तमिलनाडु में थमिरा बारानी नदी के तिरुनेलवेली चैनल का पुनरुद्धार करने हेतु जल संसाधन समेकन कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (4) श्री के० पी० धनपालन द्वारा कोचीन हाई के अपतटीय क्षेत्र में ड्रिलिंग और तेल अन्वेषण पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.08 बजे से अपराहन 12.23 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (5) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा अफीम नीति की समीक्षा किए जाने तथा जिन किसानों की फसल वर्ष 2006-07 में राजस्थान में मौसम की खराब स्थितियों के कारण बर्बाद हो गई थी, उनके कल्याण के लिए उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डा० भोला सिंह द्वारा बिहार को पर्याप्त बिजली और केरोसिन की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डा० शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश में संभल-गजरौला बरास्ता हसनपुर रेल लाईन के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री घनश्याम अनुरागी द्वारा देश में खस्ता हाल हस्तकरघा उद्योग के पुररुद्धार के उपाय घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री जे० पी० अग्रवाल द्वारा उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यातायात में भारी वृद्धि को देखते हुए यमुना नदी पर एक नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कर्नाटक सरकार की पेयजल परियोजना के लिए अनुमोदन दिए जाने तथा निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.07 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 3 घंटे 9 मिनट

रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए 6 अगस्त, 2009 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

श्री आनंद शर्मा की ओर से श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया* विधेयक पर बोले।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 2.08 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)

*उन्होंने सभा के पुनः समवेत होने के पश्चात् अपना भाषण पूरा किया।

अपराह्न 3.00 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार हेगड़े
2. श्री एंटो एंटोनी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री पी० करुणाकरन
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री जोस के० मणि
7. श्री प्रबोध पांडा
8. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
9. श्री विष्णु पद राय
10. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
11. श्री पी० टी० थॉमस
12. श्री पी० सी० चाको
13. श्री ओ० एस्० मणियन
14. डा० पी० एल्० पुनिया

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 18 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सांय 5.58 बजे

14. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुशंसित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 5 मिनट

शेष: 2 घंटे 55 मिनट

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.26 बजे

(लोक सभा बुधवार, 25 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.04 बजे से सायं 6.26 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 25 नवम्बर, 2009/4 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 38

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री वी० कंडासामी; तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री पी० मोहन; सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री अजीत बेग; और चौथी से दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री वी० शंकरानन्द के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हाल ही में हुई अभूतपूर्व वर्षा, भू-स्खलन और आई बाढ़ तथा चक्रवात जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और अनेक लोग बेघर हो गए तथा साथ ही साथ संपत्ति और मवेशियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने 23 सितम्बर, 2009 को छत्तीसगढ़ के कोरबा में निर्माणाधीन चिमनी टावर के ढह जाने, जिसके कारण 50 कामगारों की मृत्यु हो गई, के बारे में भी उल्लेख किया।

उन्होंने आगे सांगानेर, जयपुर स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो में लगी भयंकर आग, जिसमें 11 लोगों की जानें गईं, का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 82—85 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 56—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारंकित प्रश्न

अतारंकित प्रश्न संख्या 902—1131 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलाजी, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मीटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मीटिओरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक ओशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेस, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन नेशनल सेंटर फार ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेस, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) केन्द्रीय सतर्कता अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 2009 जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 616(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2009 जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों) संशोधन नियम, 2009 जो 23 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 545(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) हानिकारक अपवर्ज्य पदार्थ (प्रबंधन, सम्वहलाई और सीमा पार दुलाई) संशोधन नियम, 2009 जो 21 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ 1799(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) हानिकारक अपवर्ज्य पदार्थ (प्रबंधन, सम्हलाई और सीमा पार दुलाई) दूसरा संशोधन नियम, 2009 जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2447(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) का०आ० 2412(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 16 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या का०आ० 394(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (11) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य-सचिव के अलावा अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती निबंधन और सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 2009 जो 24 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 820(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) यूनियन टेरीटरी ऑफ दादरा एण्ड नागर हवेली मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टेरीटरी ऑफ दादरा एण्ड नागर हवेली मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) यूनियन टेरीटरी ऑफ पांडिचेरी मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), पांडिचेरी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टेरीटरी ऑफ पांडिचेरी मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), पांडिचेरी के वर्ष 2005-2006 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) यूनियन टेरीटरी ऑफ लक्षद्वीप स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), कावारत्ती के वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टेरीटरी ऑफ लक्षद्वीप स्टेट मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), कावारत्ती के वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) यूनियन टेरीटरी ऑफ अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) यूनियन टेरीटरी ऑफ अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) यूनियन टेरीटरी ऑफ दमन एण्ड दीव (सर्व शिक्षा अभियान), दमन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टेरीटरी ऑफ दमन एण्ड दीव (सर्व शिक्षा अभियान), दमन के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) यूनियन टेरीटरी ऑफ दादरा एण्ड नागर हवेली मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टेरीटरी ऑफ दादरा एण्ड नागर हवेली मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), सिलवासा के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) यूनियन टेरीटरी ऑफ पांडिचेरी (सर्व शिक्षा अभियान), पांडिचेरी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टेरीटरी ऑफ पांडिचेरी (सर्व शिक्षा अभियान), पांडिचेरी के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, इटानगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (36) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) एक्सम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) एक्सम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) डा० बी० आर० अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जालंधर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) डा० बी० आर० अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जालंधर के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), गांधीनगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन (सर्व शिक्षा अभियान), गांधीनगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उजाला सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) केरल लैण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2004-2005 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केरल लैण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. बैठक रद्द किए जाने के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:-

“माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि जैसाकि 24 नवम्बर, 2009 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2009 के लिए नियत सभा की बैठक देश के कुछ भागों में ईद-उल-जुहा (बकरीद) के मनाए जाने के कारण रद्द कर दी जाए।”

6. वित्तीय समितियां (2008-09)—एक समीक्षा

महासचिव ने ‘वित्तीय समितियां (2008-09)—एक समीक्षा’ की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रबोध पांडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोविन्द चन्द्रा नास्कर ने “तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

9. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009’ संबंधी 218वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा० तरुण मंडल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

- (एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा दिए गए की-गई-कार्यवाही टिप्पण (एटीएन) के बारे में 35वां प्रतिवेदन।
- (दो) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा दिए गए की-गई-कार्यवाही टिप्पण (एटीएन) के बारे में 36वां प्रतिवेदन।
- (तीन) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर विभाग द्वारा दिए गए की-गई-कार्यवाही टिप्पण (एटीएन) के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.05 बजे

13. ध्यानाकर्षण

श्री बसुदेव आचार्य ने देश में उर्वरकों और बीजों की कमी से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का भी उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.30 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्री पी० विश्वनाथ ने उच्च ज्वारीय लहरों से तटवर्ती गांवों तथा न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन की सुरक्षा करने के लिए कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समुद्र तट के साथ-साथ एक दीवार खड़ी किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

- (2) श्री जयवंत गंगाराम आवले ने देश में दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट में शामिल व्यक्तियों तथा कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने केरल के कोल्लाम जिले में काजू बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में सूखे के कारण जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उन्हें भुगतान के लिए केन्द्रीय निधि से हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल ने गुजरात में 'सांध्य न्यायालयों' के लिए विशेष अनुदान जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (7) श्री आर० के० सिंह पटेल ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एनटीपीसी विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (8) श्री दिनेश चन्द्र यादव ने पूर्व-मध्य रेल जोन में सहरसा-दानापुर (गाड़ी सं० 3225ए) और दानापुन-सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी सं० 3226ए) में वातानुकूलित कुर्सीयान कोच की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (9) एडवोकेट ए० सम्पत ने वर्ष 1721 के अट्रिगल विद्रोह को स्कूल बच्चों के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (10) श्री रुद्रमाधव राय ने उड़ीसा के कंधमाल जिले में अतिरिक्त बीपीएल परिवारों के लिए 'अन्त्योदय अन्न योजना' के अंतर्गत चावल मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (11) श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में शैक्षणिक दौरे आयोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (12) श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और रंगारेड्डी जिले में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कपास क्रय केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (13) श्री विलास मुत्तेमवार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित कोयला क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 2.49 बजे

15. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय : 3 घंटा 31 मिनट

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा 24 फरवरी, 2009 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री बसुदेव आचार्य
6. डा० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
7. श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे
8. श्री गोरख नाथ पांडे
9. श्री विष्णु पद राय
10. श्री पबन सिंह घाटोवार
11. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री पी० लिंगम
13. श्री गणेश सिंह
14. *डा० प्रभा किशोर ताविआड
15. चौधरी लाल सिंह
16. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
17. *श्री जे०एम० रशीद आरुन
18. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

19. श्री जगदम्बिका पाल
20. श्री अर्जुन चरण सेठी
21. श्री अधीर रंजन चौधरी
22. श्री रामकिशुन
23. श्री कमल किशोर

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 10 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#सायं 6.54 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 26 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

सायं 6.16 बजे से सायं 6.54 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 26 नवम्बर, 2009/5 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 39

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. संकल्प—स्वीकृत

अध्यक्ष ने सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प रखा:—

“माननीय सदस्यों, मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले की आज पहली बरसी है। इस हमले में बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष भारतीय नागरिकों तथा विदेशी राष्ट्रिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है तथा यह उन मूल्यों को पूर्णतः नकारता है जो मानव को प्रिय हैं। आतंकवादियों की बेतुकी हिंसा से अनगिनत परिवार तबाह हो चुके हैं।

एक सभ्य समाज में आतंकवाद को बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता तथा प्रत्येक शांतिप्रिय और प्रगतिशील देश का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह आतंकवाद की इन काली शक्तियों का प्रतिरोध करे तथा उन्हें पराजित करे। यह सभा आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।

पूरे विश्व में आतंकवादियों के फैले जाल तथा उनके असीमित संसाधनों, अत्याधुनिक हथियारों तथा प्रशिक्षण से लैस होने तथा उनकी विकृत मानसिकता को देखते हुए यह अत्यंत जरूरी है कि मानवता के इन दुश्मनों का पता लगाने तथा उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए सभी देश संसाधन जुटाएं तथा समन्वित कार्रवाई करें।

इस सभा का दृढ़ मत है कि हम मजबूत इच्छाशक्ति तथा ठोस कार्रवाई से ही आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। यह सभा 26 नवम्बर, 2008 को आतंकवादियों को

करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस तथा मुम्बई के लोगों द्वारा प्रदर्शित धैर्य के लिए उन्हें नमन करती है और सरकार से आग्रह करती है कि हमारे देश से आतंकवाद जैसी बुराई का समूल नाश करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

इस अवसर पर यह सभा संकल्प करती है कि हम आतंकवाद की शक्तियों का मिलकर मुकाबला कर उन्हें पराजित करेंगे तथा उन्हें फिर से निर्दोष लोगों का खून बहाने का मौका नहीं देंगे।

मैं समझती हूँ सभा इससे सहमत है।”

संकल्प स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदस्यगण इस अवसर पर थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—106 और 109 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 107, 108 और 110—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1132—1349 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आ०सं० 142(अ) जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य के संबंध में 15 फरवरी, 2007 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 39 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(दो) आ०सं० 143(अ) जो 16 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेघालय राज्य के संबंध में 2 जुलाई, 2007 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 50 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

- (तीन) आ०सं० 144(अ) जो 16 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा राज्य के संबंध में 15 दिसम्बर, 2006 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 32 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (चार) आ०सं० 145(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य के संबंध में 12 दिसम्बर, 2006 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 33 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (पांच) आ०सं० 146(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य के संबंध में 4 सितम्बर, 2006 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 28 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (छह) आ०सं० 147(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा राज्य के संबंध में 12 मई, 2005 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 8 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (सात) आ०सं० 148(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में 28 दिसम्बर, 2006 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 35 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (आठ) आ०सं० 149(अ) जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में 31 मई, 2007 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 46 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (नौ) आ०सं० 153(अ) जो 21 अक्टूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य के संबंध में 26 मार्च, 2008 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 56 के साथ पठित 2 जुलाई, 2007 के आदेश संख्या 49 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (दस) आ०सं० 154(अ) जो 21 अक्टूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य के संबंध में 17 अगस्त, 2007 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 54 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (ग्यारह) आ०सं० 155(अ) जो 22 अक्टूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में 15 फरवरी, 2006 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 18 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

- (बारह) आ०सं० 156(अ) जो 27 अक्टूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मिजोरम राज्य के संबंध में 27 मई, 2005 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 10 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (तेरह) आ०सं० 157(अ) जो 30 अक्टूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में क्रमशः 18 दिसम्बर, 2006 और 30 मार्च, 2007 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 34 और 41 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (चौदह) आ०सं० 170(अ) जो 18 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य के संबंध में 31 मई, 2005 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 9 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (पन्द्रह) आ०सं० 171(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में 31 मई, 2007 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 46 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
- (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2009 जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1219(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वायुयान (12वां संशोधन) नियम, 2009 जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 690(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (दो) वायुयान (14वां संशोधन) नियम, 2009 जो 12 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 745(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (तीन) वायुयान (11वां संशोधन) नियम, 2009 जो 17 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 686(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

- (4) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2009 जो 20 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-3(2)/रेजिन-जेन(अमेंड)/2009-10/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कम शास्ति) विनियम, 2009 जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-3(4)/रेग-एलपी/2009-10/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का अवधारण) विनियम, 2009 जो 20 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-3(5)/रेग-कास्ट/2009-10/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009 जो 4 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 563(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 28 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 614(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) दूसरा विनियम, 2009 जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 613(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव एवं अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें और ऐसे पदों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या) नियम, 2009 जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 670(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि 620(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 448(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन रेलवे कैंटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे कैंटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) (एक) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन रेलवे वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2009 जो 14 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 750(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा विस्तार करने हेतु कंपनियों को प्राधिकृत किया जाना) विनियम, 2009 जो 20 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 769(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के विकास हेतु प्रक्रिया) विनियम, 2009 जो 14 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 323(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर और स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा विस्तार करने हेतु कंपनियों को प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2009 जो 30 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 295(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइप लाइन के लिए अभिगम संहिता) संशोधन विनियम, 2009 जो 21 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 274(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइन को सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक के रूप में घोषित करने अथवा प्राधिकृत किए जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2009 जो 21 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 273(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2009 जो 10 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 655(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महाताब ने लोक लेखा समिति (2009-2010) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित निर्माण कार्य को अनियमित रूप से निविदा पर दिए जाने के बारे में समिति के 60वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित खाद्यान्न प्रबंधन के बारे में समिति के 73वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) विद्युत मंत्रालय से संबंधित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के बारे में समिति के 77वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

6. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुरेश अंगड़ी ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

- (एक) उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों 2008-2009 (मांग संख्या 58) के बारे में 207वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 214वां प्रतिवेदन।

- (दो) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2008-2009 (मांग संख्या 105) के बारे में 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 215वां प्रतिवेदन।
- (तीन) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2008-2009 (मांग संख्या 104) के बारे में 209वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 216वां प्रतिवेदन।
- (चार) विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2008-2009 (मांग संख्या 57) के बारे में 206वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 217वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.04 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 30 नवम्बर, 2009 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

8. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा दिनांक 25 नवम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.07 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 243घ का संशोधन)

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2009

*अपराहन 12.09 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री पी०टी० थॉमस ने केरल के परम संत और कवि श्री नारायण गुरू की रचनाओं का संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में अनुवाद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री वीरेन्द्र कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डा० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण ने अहमदाबाद-खेडब्रहमा मीटर गेज को बड़ी रेल लाईन में बदलने और इस रेल लाईन को आबूरोड स्टेशन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री दानवे रावसाहेब पाटील ने महाराष्ट्र में उन किसानों को जिनकी फसलों को खराब मौसम के कारण क्षति पहुंची है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.30 बजे स्थगित हुई और अपराहन 1.34 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 1.34 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 5 घंटे 59 मिनट

श्री राजीव रंजन सिंह ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. डा० मुरली मनोहर जोशी

*अपराहन 12.09 बजे से अपराहन 12.30 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
6. श्री बसुदेव आचार्य
- *7. श्री राधा मोहन सिंह
- *8. श्री हरिभाऊ माधव जावले
- *9. श्री अर्जुन राम मेघवाल
- *10. श्री बृजभूषण शरण सिंह
- *11. डा० (प्र०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
- *12. श्री रमाशंकर राजभर
- *13. श्री प्रेमदास कथेरिया
14. श्री भर्तृहरि महताब
- *15. श्रीमती ज्योति धुर्वे
16. श्री आनंद प्रकाश परांजपे
- *17. श्री घनश्याम अनुरागी
18. श्री श्रीपाद येसो नाईक
19. श्री जगदम्बिका पाल
20. श्री गुरुदास दासगुप्त
21. श्री प्रणव मुखर्जी
22. श्री जगदानन्द सिंह
- *23. श्री जे०एम० राशिद आरुन
24. श्री योगी आदित्यनाथ
25. श्री प्रेम दास राय
- *26. श्री कौशलेन्द्र कुमार
- **27. डा० (श्रीमती) झांसी रानी बोचा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

28. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
29. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
- **30. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी
31. श्री विष्णुपद राय

श्री शरद पवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

#सायं 7.52 बजे

(लोक सभा सोमवार, 30 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

बुधवार, 25 नवम्बर, 2009 के समाचार—भाग 1

संख्या 38 का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या 1, पैरा संख्या 2. तारांकित प्रश्न में, “56 - 100 के उत्तर” के स्थान पर “86 - 100 के उत्तर” पढ़ा जाए।

**उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

#सायं 7.33 बजे से सायं 7.52 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4831LS(S5)—26-11-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 30 नवम्बर, 2009/9 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 40

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 142, 144 और 145 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 146—160 पुकारे गए परंतु उनके उत्तर नहीं दिए जा सके क्योंकि जिन सदस्यों के नाम में यह प्रश्न सूचीबद्ध थे, वे सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे। परिणामस्वरूप, प्रश्न काल पूर्वाह्न 11.25 बजे समाप्त हो गया और सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हो गई। तारांकित प्रश्न संख्या 141, 143 और 146—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(दो) अतारांकित प्रश्न संख्या 1580-1802 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(तीन) 27 नवम्बर, 2009 के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 121—140 को अतारांकित माना गया तथा उनके उत्तर आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे जैसा कि सभा की बैठक उस दिन रद्द हो गई थी।

27 नवम्बर, 2009 के लिए सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 1350—1579 के उत्तर आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.25 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) सांकांनि 767(अ) जो 20 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
 - (दो) सांकांनि 800(अ) जो 7 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
 - (तीन) सांकांनि 801(अ) जो 7 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (अधिवाषिर्ता और सेवानिवृत्ति की आयु) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
 - (चार) सांकांनि 802(अ) जो 7 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मुर्मूगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास का आवंटन) संशोधन विनियम, 2009 का अनुमोदन किया गया है।
- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बीईएमएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड), बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड), बंगलौर के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन (खण्ड II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 6घ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2009 जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 546(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (दो) कर्मचारी पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2009 जो 21 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 594(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (10) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 जो 24 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 118(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2009 जो 3 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1878(अ) में प्रकाशित हुए थे।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा ने 25 नवम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित कर दिया है।
- (दो) कि लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में पांच सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए और जिनमें से चार सदस्य विधिवत् निर्वाचित हो गए थे तथा जिसकी सूचना 7 अगस्त, 2009 को सभा को दे दी गई थी, राज्य सभा द्वारा 31 जुलाई, 2009 को हुई अपनी बैठक में गृहीत प्रस्ताव के अनुक्रम में, राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा की शेष एक रिक्ति के निर्वाचन तथा श्री भारतकुमार राऊत को उक्त समिति के लिए विधिवत् निर्वाचित किए जाने के बारे में लोक सभा को सिफारिश करने के संबंध में सहमत हुई।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2009.

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने “फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर हासिल किये गए रोजगार से उत्पन्न स्थिति” विषय पर 29वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की।

6. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 43ख और नया भाग 9ख का अंत:स्थापन)।

*अपराहन 12.02 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल को भेजने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल को भेजने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री गुरुदास दासगुप्त
2. श्री बसुदेव आचार्य
3. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
5. श्री मुलायम सिंह यादव

डा० रामचन्द्र डोम सहयोजित हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने उत्तर दिया।

अपराहन 12.43 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

1. श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मानवयुक्त रेलवे क्रासिंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराहन 12.02 बजे से अपराहन 12.42 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

2. चौधरी लाल सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने हेतु जिन किसानों की भूमि अर्जित कर ली गई है, उन किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री पी०के० बिजू द्वारा मूलातारा रेगुलेटर के पुनर्निर्माण तथा अलियूर डैम से अचानक पानी छोड़ दिए जाने के कारण केरल स्थित क्षतिग्रस्त हुए राइट बैंक कैनल को चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. डा० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा अहमदाबाद में टेक्सटाईल मिलों के बंद हो जाने के बाद बेरोजगार हुए टेक्सटाईल मिल के कामगारों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए मैक्रो मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर स्कीम के तहत लाइट-वेट ट्रैक्टरों और पावर टीलरों पर सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री एस०एस० रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु में गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कालेज, पलायमकोट्टई के अंतर्गत ओषधीय पौधा एकक-सिद्धा का सर्वेक्षण बहाल रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'नीलगाय' द्वारा फसलों को किए जा रहे नुकसान को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा न्यायालय में न्याय पाने के इच्छुक एचआईवी पोजिटिव व्यक्तियों के लिए अदालती मामले फास्ट ट्रैक न्यायालय में लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.45 बजे

9. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आर्बटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 15 मिनट

शेष समय: 1 घंटा 45 मिनट

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009

श्री कपिल सिब्बल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(लोक सभा अपराहन 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.01 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.01 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 02 मिनट

श्री राजीव रंजन सिंह ने देश में राष्ट्रीय आपदाओं के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डा० एम० जगन्नाथ
2. श्री अनंत कुमार
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पांडेय
5. श्री अब्दुल रहमान
- *6. श्री पी० करुणाकरन
7. डा० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
8. श्री अनन्त गंगाराम गीते
9. श्री एस०एस० रामासुब्बू
10. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
11. श्री एच०डी० देवेगौड़ा
12. श्री सी० शिवासामी
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. श्री बिभू प्रसाद तराई
15. श्री जगदानंद सिंह
16. श्री के० बापीराजू

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

- **17. श्री अर्जुन राम मेघवाल
- **18. श्री राधा मोहन सिंह
- *19. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी
- 20. श्रीमती मीना सिंह
- **21. श्री कौशलेन्द्र कुमार
- **22. डा० तरुण मंडल
- **23. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य
- **24. श्री जगदम्बिका पाल

श्री पी० चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

#सायं 6.22 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

** लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 6.03 बजे से सायं 6.22 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 2009/10 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 41

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक उल्लेख किया।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161, 162, 163, 164, 165, और 168 के मौखिक उत्तर दिए गए।
तारांकित प्रश्न संख्या 166, 167, और 169—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1803—2032 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) सांकांनि 574(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) सांकांनि 575(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) सांकांनि 723(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित आरक्षित क्षेत्रों में मैगनीज अयस्क (भारत) लिमिटेड द्वारा पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रिया किए गए हैं।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —
- (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 70 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, कम्बैटाइज्ड पैरामेडिक्स ग्रुप 'सी' पद भर्ती नियम, 2009, जो 29 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 123 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल नियम, 2009, जो 1 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 560(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह “क” (जनरल ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2009, जो 7 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 509(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (कम्बैटाइज्ड पैरामेडिकल पोस्ट्स)भर्ती (संशोधन) नियम, 2009, जो 12 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 131(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2005-06 और 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2005-06 और 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2005-06 और 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2009, जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी. 33(1)/97-खण्ड III में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 597(अ) जो 22 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बड़ी संख्या में चीनी के उपभोक्ताओं पर स्टॉकधारिता की सीमा अधिरोपित की गई है।
- (दो) सांकांनि 640(अ) जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 597(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (तीन) सांकांनि 671(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 531(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) सांकांनि 691(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो जॉब आधार पर प्रसंस्करण के लिए चीनी के किसी उत्पादक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयातित अपरिष्कृत चीनी से प्रसंस्कृत चीनी के संबंध में तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, एमएमटीसी लिमिटेड, प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्वुपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा श्वेत चीनी अथवा परिष्कृत चीनी के संबंध में 31 मार्च, 2010 तक उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं के उपबंधों के लागू न होने के बारे में है।
- (पांच) सांकांनि 692(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें निदेश दिया गया है कि 29 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या सांकांनि 832(अ) में किए गए उपबंध 30 नवम्बर, 2009 तक लागू नहीं होंगे।
- (छह) सांकांनि 726(अ) जो 7 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चीनी के प्रत्येक घरेलू उत्पादकों पर चीनी सीजन 2009-2010 के दौरान उत्पादित चीनी पर 20% की दर से उद्ग्रहण बाध्यता अधिरोपित किए जाने के बारे में है।
- (सात) सांकांनि 2563(अ) जो 8 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या कांआ 509(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (आठ) कांआ 2072(अ) जो 10 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20ख के अंतर्गत कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर का विनिर्देशन अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) कांआ 2073(अ) जो 10 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 20क के अंतर्गत नीम कोटेड यूरिया का अनंतिम उर्वरक के रूप में विनिर्देशन अधिसूचित किया गया है।

- (दस) का०आ० 2802(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20 के अंतर्गत जिंक के साथ अमोनियम फास्फेट सल्फेट का अनंतिम उर्वरक के रूप में विनिर्देशन अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2009 जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2803(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (बारह) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्री पर (अनुज्ञापन अपेक्षा, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (छठा संशोधन) आदेश, 2009 जो 25 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2461(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तेरह) का०आ० 2404(अ) जो 18 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 526(अ) को रद्द किया गया है।
- (चौदह) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2009 जो 22 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2665(अ)/आव० वस्तु/गन्ना में प्रकाशित हुआ था।
- (20) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2008-2009 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) अधिसूचना संख्या 5-17/2008-सीएयू जो 16 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 के परिनियम में तीसरे संशोधन के बारे में है।
- (दो) अधिसूचना संख्या सीएयू/रेग/584/आर्ड/05 जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय गोल्ड मेडल शुरू किए जाने से संबंधित अध्यादेश संख्या 1/2008 दिया गया है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या सीएयू/रेग/584/आर्ड/05 जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अध्यापन पदों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं से संबंधित अध्यादेश संख्या 2/2008 दिया गया है।
- (चार) अधिसूचना संख्या सीएयू/रेग/584/आर्ड/05 जो 13 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर पदों के लिए अर्हता में संशोधन से संबंधित अध्यादेश संख्या 3/2008 दिया गया है।
- (23) उपर्युक्त (22) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) इम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड ऑफ नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (26) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 2436(अ) से का०आ० 2441(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (पानीपत-जालंधर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2559(अ) जो 8 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, (पानीपत-जालंधर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2108(अ) जो 12 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (फरीदाबाद खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2624(अ) जो 16 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में भूमि के भाग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन तथा रेलवे क्रॉसिंग (सिरसा नगर में रेवाड़ी-भटिण्डा रेल लाइन) पर रेलवे उपरिपुल के निर्माण के बारे में है।

- (पांच) का०आ० 2405(अ) जो 18 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-धुले खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क के बारे में है।
- (छह) का०आ० 2424(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क के बारे में है।
- (सात) का०आ० 2529(अ) जो 5 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चार लेन वाले भाग (देरूमाता मंदिर-घडावाली नदी खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 2687(अ) जो 26 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के चार लेन वाले भाग (पेडालूर-त्रिची खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 2250(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 2318(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (तालेगांव-अमरावती खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 2320(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (तालेगांव-अमरावती खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बारह) का०आ० 2321(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उप-मंडल अधिकारी, भण्डारा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 2322(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु डिप्टी-कलक्टर एवं विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (सामान्य) नागपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 2013(अ) जो 6 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकुला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 1672(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 514(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सोलह) का०आ० 1673(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (दिल्ली-अम्बाला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 2261(अ) जो 4 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठारह) का०आ० 2109(अ) जो 12 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-II (इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) (सोनीपत खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (उन्नीस) का०आ० 2079(अ) जो 10 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिकारी, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (बीस) का०आ० 2566(अ) जो 9 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (कालका-शिमला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 2554(अ) जो 8 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का०आ० 1677(अ) जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (रोहतक-हिसार खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 2153(अ) जो 22 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में कोडुंगल्लुर बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (चंदापुरा-कोट्टापूरम खंड) के निर्माण/निर्माणकार्य, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में।
- (चौबीस) का०आ० 2244(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2077(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का०आ० 2245(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 849(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छब्बीस) का०आ० 2247(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कन्नूर खंड) के

निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सत्ताइस) का०आ० 2538(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 505(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अट्ठाइस) का०आ० 2646(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (मन्नुती-अलुवा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 2259(अ) जो 4 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 2448(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1663(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का०आ० 2453(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 2454(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेतीस) का०आ० 2452(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कदापा-कुरनूल

खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौतीस) का०आ० 1713(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-झज्जर खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 2117(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छतीस) का०आ० 2240(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (झांसी-भोगनीपुर खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतीस) का०आ० 2364(अ) और का०आ० 2365(अ) जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड)के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तीस) का०आ० 2555(अ) जो 8 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण (बाईपासों के निर्माण अथवा पुनर्संयोजन, यदि कोई हो, सहित चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 939(अ) और का०आ० 940(अ) जो 9 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चालीस) का०आ० 1359(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (एल०ए०) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 1360(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (एल०ए०) संयुक्त संगठन, गौतम बुद्ध नगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 1361(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), बुलंदशहर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तैतालीस) का०आ० 1362(अ) जो 27 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (संयुक्त) संगठन), अलीगढ़ को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चवालीस) का०आ० 2066(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली-कानपुर खंड)और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा-ग्वालियर खंड) पर आगरा बाईपास के निर्माण (निर्माणकार्य) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पैतालीस) का०आ० 1783(अ) और का०आ० 1784(अ) जो 21 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-किरतपुर खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियालीस) का०आ० 1860(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (अमृतसर-वाघा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतालीस) का०आ० 2362(अ) जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर-अमृतसर खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तालीस) का०आ० 2528(अ) जो 5 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्माण, प्रचालन और स्थानांतरण योजना के अंतर्गत पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर चंडीगढ़-रोपड़ मार्ग पर खुराली के समीप दो लेन वाले रेलवे उपरि पुल का टॉल पुनरीक्षित किए जाने के बारे में है।
- (उनचास) का०आ० 1609(अ) जो 1 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 76(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पचास) का०आ० 2531(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 (रामपुर-नैनीताल खंड)के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 2078(अ) जो 10 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण

(चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी (संयुक्त संगठन) मथुरा को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (बावन) का०आ० 2536(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए जिला भूमि अर्जन अधिकारी रामपुर को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तिरेपन) का०आ० 1745(अ) जो 15 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन) आगरा को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चौवन) का०आ० 1746(अ) जो 15 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, नैनीताल को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 2673(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छप्पन) का०आ० 1204(अ) जो 13 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1009(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तावन) का०आ० 1735(अ) जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-महुआ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अट्टावन) कांआ० 2118(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क पर मांडवी बाईपास के निर्माणकार्य के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डिप्टी कलक्टर, भुज को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (उनसठ) कांआ० 2367(अ) जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि) के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (साठ) कांआ० 2548(अ) जो 7 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11क पर मोरल ब्रिज के उपयोग हेतु, उसमें उल्लिखित, दर पर शुल्क लगाए जाने के बारे में है।
- (इकसठ) कांआ० 2431(अ) से कांआ० 2433(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर-पाली खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बासठ) कांआ० 2696(अ) जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरसठ) कांआ० 2798(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क, 79 और 76 के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौंसठ) कांआ० 2101(अ) जो 11 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर-रींगस खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पैसठ) का०आ० 2401(अ) जो 18 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर-रींगस खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियासठ) का०आ० 1855(अ) जो 29 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8(किशनगढ़-ब्यावर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सड़सठ) का०आ० 1811(अ) जो 23 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़सठ) का०आ० 1736(अ) जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनहत्तर) का०आ० 1737(अ) जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तर) का०आ० 2691(अ) से का०आ० 2694(अ) तथा का०आ० 2697(अ) जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकहत्तर) का०आ० 2655(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1428(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (बहत्तर) का०आ० 2678(अ) जो 23अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली-झालावार खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिहत्तर) का०आ० 2104(अ) जो 21 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 126(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौहत्तर) का०आ० 2221(अ) जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के भागों को सौंपे जाने के बारे में है।
- (पचहत्तर) का०आ० 2222(अ) जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छिहत्तर) का०आ० 2223(अ) जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सतहत्तर) का०आ० 2224(अ) जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 247(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठहत्तर) का०आ० 2225(अ) जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनासी) का०आ० 2425(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का०आ० 78(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अस्सी) का०आ० 2426(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्यासी) का०आ० 2427(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 और 9 के, उसमें उल्लिखित, खण्डों को सौंपा गया है।

- (बयासी) का०आ० 2428(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तिरासी) का०आ० 2592(अ) जो 12 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के, उसमें उल्लिखित, खण्डों को सौंपा गया है।
- (चौरासी) का०आ० 2593(अ) जो 12 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पचासी) का०आ० 2594(अ) जो 12 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के, उसमें उल्लिखित, खण्डों को सौंपा गया है।
- (छियासी) का०आ० 2595(अ) जो 12 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तासी) का०आ० 2392(अ) जो 16 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-सोलापुर खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठ्ठासी) का०आ० 2423(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नागपुर-धुले खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नवासी) का०आ० 1828(अ) जो 25 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1403(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नब्बे) का०आ० 1829(अ) जो 25 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 176(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (इक्यानवे) का०आ० 1830(अ) जो 25 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1122(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बयानवे) का०आ० 1691(अ) जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरानवे) का०आ० 1782(अ) जो 21 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (झांसी-लखनाडोन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौरानवे) का०आ० 2486(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट-म०प्र०/महाराष्ट्र सीमा खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पिचानवे) का०आ० 2570(अ) और का०आ० 2571(अ) जो 9 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75(झांसी-खजुराहो खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियानवे) का०आ० 2660(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 935(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तानवे) का०आ० 2312(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कैम्पी-कन्हन बाईपास और नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अट्टानवे) का०आ० 2323(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-सोलापुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (निन्यानवे) का०आ० 2262(अ) जो 4 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1596(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सौ) का०आ० 2112(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ एक) का०आ० 2540(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 164(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ दो) का०आ० 2260(अ) जो 4 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तीन) का०आ० 2226(अ) जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडप्पा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चार) का०आ० 2316(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 852(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ पांच) का०आ० 2451(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला

बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ छह) कांआ० 2588(अ) जो 12 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या कांआ० 219(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ सात) कांआ० 1862(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 पर सड़क उपरिपुल तक पहुँच मार्गों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ आठ) कांआ० 2430(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ नौ) कांआ० 2455(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपट्टनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ दस) कांआ० 2075(अ) जो 10 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ ग्यारह) कांआ० 2067(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बारह) कांआ० 2121(अ) और कांआ० 2122(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के

निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ तेरह) का०आ० 2549(अ) जो 7 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (वडापे-गोंडे खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौदह) का०आ० 2640(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 10 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1696(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (एक सौ पन्द्रह) का०आ० 2661(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 934(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ सोलह) का०आ० 2659(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (काम्ती-कन्हन बाईपास और नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सत्रह) का०आ० 2657(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु डिप्टी कलेक्टर (एलए), उत्तरी गोवा को प्राधिकृत किया गया है।
- (एक सौ अट्ठारह) का०आ० 2658(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उन्नीस) का०आ० 2597(अ) जो 13 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ बीस) का०आ० 1636(अ) जो 6 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुन्दरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इक्कीस) का०आ० 1699(अ) से का०आ० 1701(अ) जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूप्पुकोट्टई-थूथुकुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ बाईस) का०आ० 2068(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ तेईस) का०आ० 2249(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सलेम-उलुन्दरपेट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ चौबीस) का०आ० 2317(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सलेम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पच्चीस) का०आ० 2319(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ छब्बीस) का०आ० 2366(अ) जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66

(पाण्डिचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ सत्ताईस) का०आ० 2479(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास-विजयवाडा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ अठाईस) का०आ० 2498(अ) जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूपुकोट्टई-थूथुकुडी खण्ड) पर टॉल प्लाजा और बेस कैम्प के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ उनत्तीस) का०आ० 2499(अ) जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूपुकोट्टई-थूथुकुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ तीस) का०आ० 2500(अ) जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ इक्कीस) का०आ० 2501(अ) जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूपुकोट्टई-थूथुकुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ बत्तीस) का०आ० 2674(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबारी-बिजनी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ तैतीस) का०आ० 2675(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग (बिजनी-पश्चिम बंगाल बॉर्डर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ चौंतीस) का०आ० 2478(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में लंका बाईपास के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पैतीस) का०आ० 2113(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ छत्तीस) का०आ० 2326(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सैंतीस) का०आ० 2457(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ अड़तीस) का०आ० 1744(अ) जो 15 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धालेश्वरी-भैरवी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ उनतालीस) का०आ० 2711(अ) जो 28 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धालेश्वरी-भैरवी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ चालीस) का०आ० 1705(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ इकतालीस) का०आ० 1706(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (सिलचर-हरंगजाओ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ बयालीस) का०आ० 1822(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 4(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ तैंतालीस) का०आ० 1823(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 5(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ चौवालीस) का०आ० 1859(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (गुवाहाटी-नलबारी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पैतालीस) का०आ० 2128(अ) जो 17 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 201(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ छियालीस) का०आ० 2129(अ) जो 17 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबारी-बिजनी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सैंतालीस) का०आ० 2230(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37

(खानपाड़ा-कालीकुची खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ अड़तालीस) का०आ० 2231(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ उनचास) का०आ० 2232(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1177(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ पचास) का०आ० 2324(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग (श्रीरामपुर-चंपामति खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ इक्यावन) का०आ० 2325(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग (चंपामति नदी-बिजनी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ बावन) का०आ० 2410(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबाड़ी-बिजनी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ तिरपन) का०आ० 2411(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (माइबांग-लुमिंडंग खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ चौवन) का०आ० 2598(अ) जो 13 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 और 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पचपन) का०आ० 2599(अ) जो 13 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ छप्पन) का०आ० 2679(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नलबाड़ी-बिजनी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (27) उपर्युक्त (26) की मद संख्या (एक सौ उन्नीस, एक सौ बीस और एक सौ सैंतीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(लोक सभा अपराहन 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.15 बजे पुनः समवेत हुई)

*अपराहन 2.17 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्री अमरनाथ प्रधान ने उड़ीसा के सम्बलपुर शहर को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

*अपराहन 12.01 बजे से अपराहन 1.03 बजे तक और अपराहन 2.15 बजे से अपराहन 2.17 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (2) श्री एन०एस०वी० चित्तन ने एक सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने श्रमिक नेता स्व० श्री एम० थेवर की स्मृति में मदुरै के नए हवाई अड्डे का नाम 'पोसुमपॉन मुथुरामलिंग थेवर एयरपोर्ट' रखे जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री जयवंतराव आवले ने लातूर, महाराष्ट्र में ऋणग्रस्तता और कृषि उपज की अलाभकारी कीमतों के कारण परेशान किसानों को विशेष वित्तीय पैकेज मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) श्री के०एस० अलागिरी ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक कृषि इंजीनियरी संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) डा० एम० जगन्नाथ ने आन्ध्र प्रदेश के विशेषरूप से नागरकुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) श्री के०सी० वेणुगोपाल ने केरल के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को आवासीय इकाई का निर्माण करने की अनुमति देने के लिए तटीय क्षेत्र विनियमन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (7) श्री श्रीपाद येसो नाईक ने गोवा के साऊथ गोवा जिले में लगातार वर्षा की चपेट में आने वाले पीड़ितों को पर्याप्त वित्तीय राहत और क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (8) श्री नारनभाई कछाड़िया ने महुआ और सूरत के बीच रेलगाड़ी की आवृत्ति बढ़ाए जाने और इसका विस्तार मुंबई तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (9) श्री राधा मोहन सिंह ने बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (10) श्री गोरखनाथ पाण्डेय ने कारपेट उद्योग के विकास के लिए इसे खादी ग्रामोद्योग (केवीआई) के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (11) श्री पी० करुणाकरन ने कन्हानगड-पनाथुन नई रेल लाईन परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (12) श्री प्रबोध पांडा ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में फरक्का बांध से पानी छोड़ने के कारण कृषि भूमि और आवासीय इकाइयों के हो रहे भू-क्षरण तथा किसानों के जान और माल की रक्षा किए जाने हेतु तात्कालिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

- (13) श्री थिरुम्मा वालावन थोल ने तमिलनाडु के चिदम्बरम लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (14) श्री जोसंके० मणि ने देश के लोगों के लिए किफायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 2.36 बजे

6. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 4 घंटे 02 मिनट

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री कपिल सिब्बल द्वारा 30 नवम्बर, 2009 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. चौधरी लाल सिंह
3. कुंवर रेवती रमन सिंह
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री विजय बहादुर सिंह
6. श्री जगदीश शर्मा
7. श्री पी०के० बिजु
8. श्री एस०एस० रामासुब्बु
9. प्रो० (डा०) रामशंकर
10. श्री प्रबोध पांडा
11. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
13. श्री भक्त चरण दास
14. डा० भोला सिंह
15. श्री प्रेम दास राय

16. डा० तरुण मंडल
17. श्री पी०टी० थामस
18. श्री योगी आदित्यनाथ
19. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
- *20. डा० (प्र०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
- *21. श्री अर्जुन राम मेघवाल
- *22. श्री कौशलेन्द्र कुमार
- *23. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
- *24. श्री जगदम्बिका पाल
- *25. श्री कमल किशोर

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

**सायं 6.32 बजे

(लोक सभा बुधवार, 2 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थागित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

**सायं 6.24 बजे से 6.32 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4979LS(S5)—01-12-2009

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 2 दिसम्बर, 2009/11 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 42

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181, 182, 183, 186 और 187 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 184, 185 और 188 —200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2033 —2262 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 21 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 541(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 21 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकां नि 542(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) पाँचवा संशोधन विनियम, 2009, जो 20 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 770(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पाँचवा संशोधन विनियम, 2009, जो 20 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2009, जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2009, जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 820(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (4) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2009, जो 7 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 727(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2009, जो 22 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 544(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत कोयला खान पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2009 जो 22 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 774(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ 2804(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वर्ष 1999 की फलाई ऐश उपयोग अधिसूचना में संशोधन किए जाने के बारे में है।
- (दो) कांआ 1545(अ) जो 25 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो माउंट आबू और इसके आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है।

- (तीन) का०आ० 2399 (अ) जो 18 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दिए जाने के बारे में है।
- (चार) का०आ० 1802(अ) जो 22 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दिए जाने के बारे में है।
- (8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2009 जो 21 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 595(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2009 जो 22 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 543(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 407(अ) जो 28 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चेयरमैन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती नियम, 2007 का निरसन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 और 40 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 2726(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो यह घोषित किए जाने के जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उपबंध उसमें उल्लिखित जैव संसाधनों पर लागू नहीं होंगे, के बारे में है।

- (दो) का०आ० 2524(अ) जो 5 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मिजोरम राज्य के संबंध में, उसमें उल्लिखित पादप और जीव-जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों को अधिसूचित किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2525(अ) जो 5 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के संबंध में, उसमें उल्लिखित पादप और जीव-जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों को अधिसूचित किए जाने के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2526(अ) जो 5 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मेघालय राज्य के संबंध में, उसमें उल्लिखित पादप और जीव-जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों को अधिसूचित किए जाने के बारे में है।
- (12) दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या छत्तीस ग्यारहवां सत्र, 1994

ग्यारहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या उनतालीस दूसरा सत्र, 1996

बारहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या सात पहला सत्र, 1998
4. विवरण संख्या चवालीस दूसरा सत्र, 1998

तेरहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या सैंतालीस तीसरा सत्र, 2000
6. विवरण संख्या चालीस चौथा सत्र, 2000
7. विवरण संख्या छियालीस छठा सत्र, 2001

8.	विवरण संख्या पैंतालीस	सातवां सत्र, 2001
9.	विवरण संख्या तैंतीस	नौवां सत्र, 2002
10.	विवरण संख्या तीस	दसवां सत्र, 2002
11.	विवरण संख्या छत्तीस	ग्यारहवां सत्र, 2002
12.	विवरण संख्या सत्ताईस	बारहवां सत्र, 2003
13.	विवरण संख्या चौबीस	तेरहवां सत्र, 2003
14.	विवरण संख्या तेईस	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

15.	विवरण संख्या बीस	दूसरा सत्र, 2004
16.	विवरण संख्या अठारह	तीसरा सत्र, 2004
17.	विवरण संख्या अठारह	चौथा सत्र, 2005
18.	विवरण संख्या सोलह	पांचवां सत्र, 2005
19.	विवरण संख्या पंद्रह	छठा सत्र, 2005
20.	विवरण संख्या चौदह	सातवां सत्र, 2006
21.	विवरण संख्या बारह	आठवां सत्र, 2006
22.	विवरण संख्या ग्यारह	नौवां सत्र, 2006
23.	विवरण संख्या दस	दसवां सत्र, 2007
24.	विवरण संख्या आठ	ग्यारहवां सत्र, 2007
25.	विवरण संख्या सात	बारहवां सत्र, 2007
26.	विवरण संख्या पांच	तेरहवां सत्र, 2008
27.	विवरण संख्या तीन	चौदहवां सत्र, 2008
28.	विवरण संख्या दो	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

29.	विवरण संख्या एक	दूसरा सत्र, 2009
-----	-----------------	------------------

- (13) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग की कुप्रथा को रोकने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 1-16/2007(सीपीपी-II) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल/पीएच०डी० डिग्री प्रदान करने संबंधी न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 जो 17 जुलाई, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 1-1/2002(पीएस) एक्जम्प० में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इससे सम्बद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और कैरियर प्रोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 17 जुलाई, 2009 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 1-1/2002(पीएस) एक्जम्प० में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदानों के लिए संस्थाओं की उपयुक्तता) (संशोधन) नियम, 2009 जो 15 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 111 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदानों के लिए कतिपय विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) (संशोधन) नियम, 2009 जो 15 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 112 में प्रकाशित हुए थे।
- (15) केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1761(अ) जो 17 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद, त्रिपुरा में जिरानिया में उसमें स्थित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के

विद्यार्थियों के लिए आरक्षण लागू किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (फीस) संशोधन नियम, 2009 जो 15 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 752(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रबोध पांडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने “भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा० मुरली मनोहर जोशी ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्त सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहला प्रतिवेदन;
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन;
- (3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन;
- (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में चौथा प्रतिवेदन; और
- (5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

*अपराहन 12.04 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

नानावती आयोग द्वारा यथा आरोपित 1984 के सिक्ख विरोधी दंगे के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

निम्नलिखित सदस्यों ने नानावती आयोग द्वारा यथा आरोपित 1984 के सिक्ख विरोधी दंगे के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल करने के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया:—

1. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी

सर्वश्री खगेन दास, अशोक कुमार रावत, दारा सिंह चौहान, भर्तृहरि महताब, शैलेन्द्र कुमार, नृपेन्द्र नाथ राय, डा० महेन्द्र कुमार राय, डा० पुलीन बिहारी बासके, कुंवर रेवती रमन सिंह, श्रीमती सुषमा स्वराज, शेख सैदुल हक, श्रीमती सुष्मिता बौरी, डा० अनूप कुमार साहा, डा० तरुण मंडल और डा० रामचन्द्र डोम सहयोजित हुए।

श्री प्रणव मुखर्जी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.15 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.15 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्री जगदम्बिका पाल ने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में बंद पड़े उर्वरक कारखाने के पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (2) श्री अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में वर्ष दर वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए इसके मुर्शिदाबाद जिले में 'कंडी मास्टर प्लान' कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) डा० निर्मल खत्री ने अयोध्या और फैजाबाद में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन जिलों को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

*अपराहन 12.04 बजे से अपराहन 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (4) श्री पी० टी० थॉमस ने केरल में अंगमाली-सबरी रेल लाइन का निर्माण कार्य तीव्रता से किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) श्री अरुण कुमार चुंडावल्ली ने एक परिवार में दूसरी कन्या को भी इन्दिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) श्री मनसुखभाई डी० वसावा ने भरुच शहर, गुजरात में निर्बाध यातायात के लिए भरुच-दाहेज रेल लाइन के प्रस्तावित मार्ग को बदले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (7) श्री वीरेन्द्र कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को बल देने के लिए घनौली से लेकर पोन्टा साहिब तक रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (8) श्रीमती विजय चक्रवर्ती ने असम, गुवाहाटी में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत विकास कार्य को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (9) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहान ने गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र में वानटाडा गांव के आस-पास हिम्मतनगर रेल लेवल क्रॉसिंग से होते हुए अहमदाबाद-उदयपुर मार्ग के निकट सड़क निर्माण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (10) श्री अर्जुन राय ने बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक रेल लाइन के निर्माण में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (11) श्री तथागत सत्पथी ने उड़ीसा में बिजली की कमी को दूर करने के लिए पुनर्संचित त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (12) श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने दिल्ली में पेयजल की समस्या का निवारण करने के लिए यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 2.34 बजे

9. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 2 घंटे 56 मिनट

शेष समय: 1 घंटे 04 मिनट

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2009, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

डा० एम० वीरप्पा मोइली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री संदीप दीक्षित
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
5. श्री कल्याण बनर्जी
6. श्री ए० सम्मत
7. श्री टी०के०एस० इलेंगोवन
8. श्री अर्जुन चरण सेठी
9. श्री हरिन पाठक
10. श्री पी०सी० चाको
11. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री प्रबोध पांडा (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 5.30 बजे

10. आधे घंटे की चर्चा

डा० के० एस० राव ने संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री द्वारा "नदियों को आपस में जोड़ना" के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 61 के संबंध में 8.7.2009 को दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा उठाई।

श्री पवन कुमार बंसल ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 6.17 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 3 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 2009/12 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 43

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस के अवसर पर एक उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने भोपाल गैस त्रासदी की 25वीं वार्षिकी पर भी एक उल्लेख किया।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208 और 209 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 206 और 210—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2263—2492 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंटरनेशनल सेंटर फॉर आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वायुयान (15वां संशोधन) नियम, 2009, जो 16 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 757(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (दो) वायुयान (13वां संशोधन) नियम, 2009, जो 12 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 744(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 16 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 827(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी सचिव अधिनियम, 1940 की धारा 40 के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो 16 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 104/29/अकाउंट्स—रिपोर्ट ऑफ द कार्पोरेशन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2009 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/60/2009 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) वुल एण्ड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वुल एण्ड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तमिलनाडु के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तमिलनाडु के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड), बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केआईओसीएल लिमिटेड (पूर्ववर्ती कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड), बंगलौर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (च) (एक) मेकॉन लिमिटेड, राँची के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मेकॉन लिमिटेड, राँची का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17)* जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (3) की उपधारा (4) के अंतर्गत लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग के प्रतिवेदन# तथा उस पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन# की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा ने 1 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में विधिक मापविज्ञान विधेयक, 2009 को पारित कर दिया है।
- (दो) कि राज्य सभा 1 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 नवम्बर, 2009 को यथापारित कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

विधिक मापविज्ञान विधेयक, 2009

* अपराहन 4.48 बजे।

#प्रतिवेदन तथा उस पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन का अंग्रेजी रूपांतरण 24.11.2009 को सभा पटल पर रखा गया।

7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुषमा स्वराज ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों के बारे में पहला प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा); और
- (2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

8. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी० आर० बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें—2008-09' के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन;
- (2) 'योजना निष्पादन और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानों की समीक्षा' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरा प्रतिवेदन; और
- (3) 'विशेष रेल सुरक्षा निधि की समीक्षा' के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

@अपराहन 12.04 बजे

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कैंगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में पेयजल के रेडियोधर्मी संदूषण संबंधी मुद्दे के बारे में एक वक्तव्य दिया।
- (दो)* विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.31 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

@अपराहन 12.10 बजे से अपराहन 12.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

* अपराहन 2.31 बजे।

*अपराहन 2.00 बजे

10. सदस्य द्वारा निवेदन

पश्चिम बंगाल राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ रही स्थिति के कारण निर्दोश व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल राज्य में केन्द्रीय दल द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिए जाने के दौरान भी राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं के बारे में निवेदन किया।

श्री वी० नारायणसामी ने उत्तर दिया।

अपराहन 2.05 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री दत्ता मेघे द्वारा एचआईवी/एड्स प्रभावित व्यक्तियों को समुचित दवाई उपलब्ध कराने हेतु लंबित विधान पारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के लिए आय की न्यूनतम पात्रता सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांधों/तालाबों को और गहरा बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा दिल्ली और सूरत के बीच उड़ानों के संचालन को पुनःनिर्धारित करने तथा देश के अन्य भागों के साथ सूरत को जोड़ने वाली उड़ानें प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 2.00 बजे से अपराहन 2.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.06 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 4 घंटे 56 मिनट

सभापति ने सदन को सूचित किया कि श्री अनंत कुमार हेगड़े जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नियम 193 के अधीन चर्चा प्रारंभ करनी थी, ने अध्यक्षपीठ से अनुरोध किया था कि उनकी ओर से डा० मुरली मनोहर जोशी को चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए तथा अध्यक्षपीठ ने उनका अनुरोध स्वीकार किया।

तदनुसार डा० मुरली मनोहर जोशी ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संदीप दीक्षित
2. कुंवर रेवती रमन सिंह
3. श्री रमाशंकर राजभर
4. श्री मंगनी लाल मंडल
5. डा० काकोली घोष दस्तदार
- *6. श्री एम०बी० राजेश
- *7. श्री प्रेम दास राय
- **8. श्री राधा मोहन सिंह
- **9. शेख सैदुल हक
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
- **12. श्री शैलेन्द्र कुमार
13. श्री अनंत कुमार हेगड़े
- **14. डा० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
- **15. श्री नवीन जिंदल

*उन्होंने अपने भाषण के कुछ अंश सभा पटल पर भी रखे।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

16. श्री अधीर रंजन चौधरी
 - **17. श्रीमती मेनका गांधी
 18. श्री जयंत चौधरी
 19. श्री प्रबोध पांडा
 20. श्रीमती अन्नू टंडन
 21. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
 - **22. श्री अर्जुन राम मेघवाल
 23. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
 24. डा० ज्योति मिर्धा
 - **25. डा० अर्जुन राय
 - **26. डा० तरुण मंडल
- श्री जयराम रमेश ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
चर्चा समाप्त हुई।

#सायं 7.42 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

**लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#सायं 7.19 बजे से सायं 7.42 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5074LS(S5)—03-12-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2009/13 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 44

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221, 223, 225, 226, 227 और 229 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 222, 224, 228 और 230—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2493—2722 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नालॉजी, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, इंजीनियर सदस्य भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 जो 18 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 105 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) संशोधन नियम, 2009 जो 20 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 590 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) “अवर श्रेणी लिपिक-सह-टंकक (अंग्रेजी/हिन्दी) की भर्ती”, 2009 (संशोधित) जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग (सेवा की निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2009 जो 16 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 137एन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (12) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशामन मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेन्सियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेन्सियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकॉनामिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स), दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकॉनामिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स), दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनामिक्स रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनामिक्स रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) प्रातिची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रातिची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकॉनामिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकॉनामिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) जेनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जेनरल इंश्यूरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई, के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (23) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) ओरिएंटल इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओरिएंटल इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नेशनल इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) यूनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (24) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (दो) आंध्रा बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (चार) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (पांच) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (छह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (सात) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (आठ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (नौ) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (दस) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
 - (ग्यारह) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

- (बारह) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (तेरह) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (चौदह) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (पन्द्रह) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (सोलह) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (25) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियां) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/12/169546 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 जो 26 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471 में प्रकाशित हुए थे।
- (26) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में एसोसिएटेड व्यक्तियों का प्रमाणन) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/13/172730 जो 11 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/04/163097 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत “राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष” के अवसर की स्मृति में ढाले गए एक सौ रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2009 जो 17 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 829(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 676(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 245-ण के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 15 सितम्बर, 2009 से प्राधिकरण होने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 678(अ) जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित थे तथा जिनके द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 245-ण के अंतर्गत गठित प्राधिकरण को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत प्राधिकरण होने के लिए प्राधिकृत किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 810(अ) जो 11 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सींशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 805(अ) जो 10 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अतिरिक्त अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो अर्थात् तालेगांव (पुणे, धन्नड (राऊ) और खेड़ा-पीथमपुर (इंदौर), और पटली गुडगांव को आयातों और निर्यातों के प्रयोजनार्थी विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं में जोड़ा गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि 672(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित सात अधिसूचनाओं के कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (29) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2879(अ) जो 11 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) और आयकर महानिदेशक (आसूचना) के अंतर्गत कार्यरत सभी अपर आयकर निदेशकों/संयुक्त आयकर निदेशकों को प्राधिकार अधिपत्र जारी करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (30) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सा०का०नि० 798(अ) जो 6 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केवीआईसी एककों द्वारा विनिर्मित, उनमें उल्लिखित माल को 1 सितम्बर, 1987 से प्रारंभ तथा 28 फरवरी, 1989 को समाप्त अवधि के दौरान कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा०का०नि० 673(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (31) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 582(अ), जो 19 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 436(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (32) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 809(अ), जो 11 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और वियतनाम में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पूर्णतः बंटे हुए अथवा पूर्णतः विन्यासित यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/पालिएस्टर के फ्लैट यार्न (बिना बुना हुआ और बिना पी०ओ०वाई०) के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की तारीख अर्थात् 26 मार्च, 2009 से

पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (33) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकाणि 821(अ) जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 में उल्लिखित कर योग्य सेवा को साइकिलों या सिलाई मशीनों के पुर्जों के विनिर्माण के दौरान विनिर्दिष्ट एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं के संबंध में कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (34) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत डाक बचत खाता (संशोधन) नियम, 2009, जो 13 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 748(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या कांआ 2629 (अ) जो 20 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 14 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 1937(अ) में कतिपय संशोधन करने वाला राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (क) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (37) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/142/157/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ग्रांट ऑफ कनेक्टिविटी, लांग टर्म एक्सेस एण्ड मीडियम टर्म ओपन एक्सेस इन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन एण्ड रिलेटेड मैटर्स) विनियम, 2009 जो 10 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(3)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 जो 17 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या एल-7/186(201)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के फीस और प्रभार तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 जो 26 सितम्बर,

2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

- (38) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) अधिसूचना संख्या एल-1(1)/2009-सीईआरसी, जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनशिडयूल्ड इंटरचेंज चार्ज एण्ड रिलेटेड मैटर) विनियम, 2009 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।
- (दो) अधिसूचना संख्या एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी, जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस इन इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन) (संशोधन) विनियम, 2009 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।
- (39) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2008-2009 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—
- (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ), दिल्ली।
- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर।
- (तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, श्रीनगर।
- (चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज), बंगलौर।
- (पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सेन्टर फॉर रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट), चंडीगढ़।
- (छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जेएसएस इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च), धारवाड।
- (सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, विशाखापट्टनम।
- (आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तिरुवनंतपुरम।
- (नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (द गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फ़ैमिली वेल्फेयर ट्रस्ट), डिंडीगुल।
- (दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी।
- (ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर।

- (बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
 (तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, वडोदरा।
 (चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, सागर।
 (पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़।
 (सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स), पुणे।
 (सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला।
 (अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना।
- (40) उपयुक्त 18 केन्द्रों के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2009 जो 9 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 651(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांका 1868(अ) जो 31 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2009 को उक्त अधिनियम की धारा 36 से 47 के उपबंध लागू किए जाने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) एड्स प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट, वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एड्स प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट, वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) एड्स प्रिवेन्शन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट, वोलंटरी हेल्थ सर्विसेज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (44) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) कुमाराकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कुमाराकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पांडिचेरी अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) असम अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) असम अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) डोन्यी पोलो अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डोन्यी पोलो अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) भारतीय पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1873 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2008 जो 18 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/2004-सीसीएच में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विभागों से संबद्ध स्थायी समिति—एक समीक्षा

महासचिव ने विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (2007-2008)—एक समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

5. संसदीय समितियां (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न) कार्य का सारांश

महासचिव ने संसदीय समितियां (वित्तीय तथा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न) कार्य का सारांश (1 जून, 2007 से 31 मई, 2008 तक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 7 दिसम्बर, 2009 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.10 बजे

8. अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित उद्घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2 दिसम्बर, 2009 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लिब्राहन आयोग प्रतिवेदन संबंधी अल्पकालीन चर्चा 9 और 10 दिसम्बर, 2009 को की जाएगी।

तथापि, 3 दिसम्बर, 2009 को गृह मंत्री द्वारा सभा के पटल पर इस प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण की प्रति रखे जाने के मद्देनजर संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि यह चर्चा अब 7 और 8 दिसम्बर, 2009 को की जाए। तदनुसार, “लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग के प्रतिवेदन तथा उस पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन” पर नियम 193 के अधीन चर्चा अब मंगलवार 7 दिसम्बर, 2009 को अपराहन 2.00 बजे की जाएगी। मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2009 को अपराहन 2.00 बजे कि लिए गृहीत “देश में नक्सलवादी तथा माओवादी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी” पर अल्पकालीन चर्चा स्थगित की जाती है।

आशा है सभा इससे सहमत है।”

सभा सहमत हुई।

\$9. ध्यानाकर्षण

श्रीमती सुषमा स्वराज ने श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा के बारे में विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

विदेश मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विदेश मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का भी उत्तर दिया।

अपराहन 12.12 बजे

10. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

(एक) व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2009

(दो) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009

(तीन) आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009

(चार)* सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2009

#अपराहन 12.15 बजे

11. अध्यादेश के बारे में विवरण

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 9) द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराहन 12.57 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई)

\$अपराहन 2.03 बजे

*अपराहन 12.16 बजे

#अपराहन 12.18 बजे से 12.57 बजे तक सदस्यों ने अविश्वसनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 3.12 बजे

12. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आवंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 3 घंटे 14 मिनट

शेष : 0.46 मिनट

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2009, राज्य सभा द्वारा यथापारित

डा० एम० वीरप्पा मोइली द्वारा 2 दिसम्बर, 2009 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही —

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रबोध पांडा (भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री अर्जुन राम मेघवाल
3. श्री जयप्रकाश अग्रवाल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अपराहन 3.30 बजे

13. प्रस्ताव

श्री प्रबोध पांडा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 25 नवम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन से उस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत है कि संकल्पों के समय के आवंटन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 6 और पैरा 7 के उप-पैरा (iii) का लोप किया जाए और साथ ही 2 दिसम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत समिति के दूसरे प्रतिवेदन से भी सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 3.32 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — पुरःस्थापित

- (1) श्री वैजयंत पांडा द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (*अनुच्छेद 275 का संशोधन*)

- (2) श्री वैजयंत पांडा द्वारा अवैध आप्रवासी और स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिक (पहचान और विवासन) विधेयक, 2009
- (3) श्री वैजयंत पांडा द्वारा दो संतान सन्नियम संवर्धन विधेयक, 2009
- (4) श्री बसुदेव आचार्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)
- (5) श्री हंसराज गं० अहीर द्वारा विशेष सिंचाई विकास निधि (वन क्षेत्रों के लिए), विधेयक, 2009
- (6) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009
- (7) श्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2009 (धारा 2 और 6 का संशोधन)
- (8) श्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
- (9) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा (मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षण), विधेयक, 2009
- (10) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक, 2009
- (11) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (12) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2009
- (13) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 (नई धारा 4 का अंतःस्थापन)
- (14) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा युवा कल्याण विधेयक, 2009
- (15) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक, 2009
- (16) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा विद्युत (कटरों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को अनिवार्य प्रदाय) विधेयक, 2009
- (17) श्री बसुदेव आचार्य द्वारा बीमा अभिकर्ता कल्याण विधेयक, 2009

- (18) श्री इन्दर सिंह नामधारी द्वारा झारखण्ड राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2009
- (19) श्री सतपाल महाराज द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2009 (नई धारा 3ग और 3घ का अंतःस्थापन)
- (20) श्री इन्दर सिंह नामधारी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 371ज का अंतःस्थापन)
- (21) एडवोकेट पी०टी० थामस द्वारा उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 4 का संशोधन)
- (22) श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा वर्षाजल (अनिवार्य संचयन) विधेयक, 2009
- (23) श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा राजस्थान राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2009
- (24) श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2009
- (25) श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक, 2009
- (26) प्रो० रंजन प्रसाद यादव द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 275क और 371ज का अंतःस्थापन)
- (27) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा बालक कल्याण विधेयक, 2009
- (28) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा महिलाओं, बालकों और निर्धन व्यक्तियों को मृत्यु शास्ति का उत्सादन विधेयक, 2009
- (29) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा गरीब और निराश्रित कृषि कर्मकार और कारीगर (कल्याण) विधेयक, 2009
- (30) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 48 का संशोधन)
- (31) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा निस्सहाय बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2009
- अपराहन 3.51 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — वापस लिया गया

- (एक) श्री वैजयंत पांडा द्वारा अल्पविकसित और पिछड़े क्षेत्र तथा अंचल (त्वरित विकास के लिए विशेष उपबंध) विधेयक, 2009

श्री वैजयंत पांडा द्वारा 17 जुलाई, 2009 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही—

श्री वी० नारायणसामी ने भाषण पुनः आरंभ किया।

श्री वैजयंत पांडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

अपराह्न 4.35 बजे

(दो) श्री फ्रांसिस्को सारदीना द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 11 का संशोधन, आदि)

श्री फ्रांसिस्को सारदीना द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री हुक्मदेव नारायण यादव
- (2) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (3) श्री अर्जुन राम मेघवाल
- (4) श्री जयराम रमेश

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

अपराह्न 5.33 बजे

16. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — विचाराधीन

श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009

श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

उनका भाषण समाप्त नहीं हुआ।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.04 बजे

(लोक सभा सोमवार, 7 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.01 बजे से सायं 6.04 बजे तक सदस्य ने अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाया।

GMGIPMRND—5122LS(S5)—04-12-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 7 दिसम्बर, 2009/16 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 45

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारत द्वारा श्रीलंका के विरुद्ध मुंबई टेस्ट मैच तथा वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला में शानदार जीत हासिल करने तथा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नम्बर एक का दर्जा प्राप्त करने पर भारतीय क्रिकेट टीम, उसके कप्तान एम०एस० धोनी, खिलाड़ी वीरेन्द्र सहवाग तथा अन्य को बधाई दी।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241, 243, 244, 245, 247 और 248 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 242, 246 और 249—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2723 —2894 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा 12 की उपधारा (4) के अंतर्गत बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 1 सितम्बर,

2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 629(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर यूओयूस एण्ड एसईजेड यूनित्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर यूओयूस एण्ड एसईजेड यूनित्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (11) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) दि डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप और फिटिंग्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआं 2749(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) कांआं 2681(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 25 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या कांआं 1544(अ) को निरस्त करने वाला आदेश दिया गया है।
- (12) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 3 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 562(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण और उद्देश्यों तथा कारणों का कथन।
- (दो) विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण नियम, 2009 जो 11 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनिं 811(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण और उद्देश्यों तथा कारणों का कथन।
- (13) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआं 2320(अ) जो 1 अक्टूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अक्टूबर, 2008 को उक्त अधिनियम की धारा 31 से 41 (दोनों सहित) प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डि-गामा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डि-गामा का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (15) छावनी बोर्ड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा वार्षिक समेकित लेखे।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अंतर्गत मजदूरी संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 2009, जो 13 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 822(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्ची का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकोरपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकोरपोरेटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलोजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलोजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्सड कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्सड कंप्यूटिंग (सी-डैक), पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

@अपराहन 12.04 बजे

5. ध्यानाकर्षण

श्री गुरुदास दासगुप्त ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के विलय के संबंध में सरकार की कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंक कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

वित्त मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

वित्त मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

#6. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 4 दिसम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#7. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009

#8. अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 7) द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराहन 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

#अपराहन 12.02 बजे से अपराहन 12.03 बजे तक।

@अपराहन 12.37 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) डा० निर्मल खत्री द्वारा उर्दु और संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए फैजाबाद में एक उर्दु विश्वविद्यालय तथा अयोध्या में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री मधु गौड यास्वी द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बालिका छात्रावासों में शौचालय तथा स्नानघर सुविधाएं मुहैया कराए जाने हेतु पर्याप्त निधियां जारी कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एफएम रेडियो (रिले) स्टेशन की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी शहरों तथा कस्बों तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डा० एम० जगन्नाथ द्वारा कर्नाटक के रायचुर तथा आंध्र प्रदेश के मचेरला के मध्य रेल लाइन के कार्य को शीघ्रता से पूरा कराये जाने हेतु निधियां जारी कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डा० भोला सिंह द्वारा बिहार के नवादा जिले के 'सीतामढ़ी' को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश को उसके आर्थिक विकास के लिए प्रदान कराए गए औद्योगिक पैकेज की समयावधि के बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री तूफानी सरोज द्वारा उत्तर प्रदेश के मछलीशहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जगदीशपुर में वाराणसी-लखनऊ रेलवे लाइन के फाटक पर एक रेलवे उपरि पुल निर्मित कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (9) श्री महाबली सिंह द्वारा औरंगाबाद तथा रोहतास जिलों में क्रमशः दौन्दनगर और नरसरीगंज के बीच सोन नदी पर पुल निर्मित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डा० तरुण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के साउथ 24-परगना जिले में बरुईपुर से बन्खली तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

10. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, अगली मद अर्थात् नियम 193 के अधीन लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग रिपोर्ट पर चर्चा, आरंभ करने के पहले मैं एक छोटी-सी टिप्पणी करना चाहती हूँ।

माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको विदित ही है कि जिस मुद्दे पर अब हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं वह राजनीतिक तथा भावनात्मक रूप से संवेदनशील है। इस मंच का उद्देश्य मुद्दों पर चर्चा करना है, जबकि यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी मुद्दों पर सृजनात्मक तथा तटस्थ रूप से चर्चा की जाए। अतः मैं सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि वे इस भावनात्मक मुद्दे पर चर्चा करते समय एक-दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना तथा जो सदस्य सदन में अपनी प्रतिरक्षा हेतु उपस्थित नहीं हैं के विरुद्ध आरोप लगाए बिना, भाग लें। मैं आशा करती हूँ कि यह चर्चा ऐसी तरह से आयोजित की जाएगी जिससे सभा तथा इसके सदस्यों की गरिमा बढ़ेगी.....”

अपराहन 2.02 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

आवंटित समय: 8 घंटे

लिया गया समय: 4 घंटे 22 मिनट

शेष: 3 घंटे 38 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त ने 24 नवम्बर, 2009 को सभा पटल पर रखी गई@ लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग की रिपोर्ट तथा उस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई ज्ञापन के बारे में एक चर्चा उठाई।

@रिपोर्ट तथा उस पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन का हिन्दी संस्करण 3.12.2009 को सभा पटल पर रखा गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल
 2. श्री राजनाथ सिंह
 3. श्री मुलायम सिंह यादव
 4. श्री दारा सिंह चौहान
 5. श्री शरद यादव
 6. श्री कल्याण बनर्जी
 7. श्री अब्दुल रहमान
 8. श्री सलमान खुर्शीद
- चर्चा समाप्त नहीं हुई।

*सायं 6.48 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 8 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.24 बजे से सायं 6.48 बजे सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 2009/17 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 46

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261, 262, 263 और 270 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 264, 265, 266, 267, 268, 269 और 271—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2895—3124 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) (एक) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेंच एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नालॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेंच एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 29 की उपधारा (3) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रदान करना) नियम, 2009, जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 793(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 204 के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009, जो 4 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकां नि 74(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (समूह 'क' कार्यकारी संवर्ग) संशोधन भर्ती नियम, 2009, जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 715(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अपर महानिदेशक और अपर उपमहानिरीक्षक) संशोधन भर्ती नियम, 2009, जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) (एक) वॉयस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वॉयस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) काउंसिल ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) काउंसिल ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) कन्ज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कन्ज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 तथा 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) संशोधन नियम, 2009 जो 17 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि-533(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) दूसरा संशोधन नियम, 2009 जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि-632(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (17) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1993-1994 से 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा

लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 29 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआ 1874(अ), जो 3 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत किस्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र उसमें उल्लिखित फसलों को उनकी प्रजातियों के साथ अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत सामान्य श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 2009, जो 5 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 796(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) फिक्की एलायंस फॉर कंज्यूमर केयर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिक्की एलायंस फॉर कंज्यूमर केयर, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत चावल (कंपनियों या फर्मों या व्यष्टियों द्वारा स्टॉक की घोषणा) आदेश, 2009 जो

- 11 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2878(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का० आ० 2800(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरीपेट-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2831(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष जिला राजस्व अधिकारी, कांचीपुरम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2829(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष जिला राजस्व अधिकारी, एलएएनएच-वेल्लोर-9 को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2677(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1635(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का० आ० 2792(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड) (बाइपासों सहित) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (छह) का०आ० 2735(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष जिला राजस्व अधिकारी, तिरुवल्लुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (सात) का०आ० 2680(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 2830(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 2839(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/ छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष जिला राजस्व अधिकारी, सलेम-कृष्णागिरी जिला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (दस) का०आ० 2828(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष जिला राजस्व अधिकारी, वेल्लोर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 2833(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1740(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बारह) का०आ० 2456(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा- मछलीपटनम खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तेरह) का०आ० 2573(अ) से का०आ० 2574(अ) जो 9 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुरनूल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 2944(अ) जो 18 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (रूद्रकोटा-नेल्लोर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु राजस्व डिवीजनल आफिसर, कावाली को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 2943(अ) जो 18 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चिलाकालुरीपेट- रूद्रकोटा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु स्पेशल डिप्टी कलेक्टर (एलए), पी०एस्०वी०पी०, यूनिट-5, आंगोले को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 2502(अ) जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1351(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्रह) का०आ० 2813(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-कुरनूल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 2798(अ) और का०आ० 2799(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (उन्नीस) का०आ० 2807(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1466(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बीस) का०आ० 2808(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 810(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का०आ० 2809(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1198(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का०आ० 2817(अ) और का०आ० 2823(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 (गाजियाबाद-अलीगढ़ खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 2832(अ) और का०आ० 2837(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-बरेली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 2644(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टेंक-देवली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 2676(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 2818(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सत्ताईस) का०आ० 2489(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (गुजरात-महाराष्ट्र सीमा) (व्यारा और बाजीपुरा बाईपास निर्माण सहित) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठाईस) का०आ० 2556(अ) और का०आ० 2557(अ) जो 8 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) (मुंद्रा गांव-चन्द्रोदा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 2747(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 2532(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (धुलिया-सूरत खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 2698(अ) जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर-अहमदाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, साबरकांठा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 2257(अ) जो 4 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तैंतीस) का०आ० 752(अ) जो 17 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन खण्ड) (व्यारा और बाजीपुरा बाईपास के निर्माण

सहित) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (चौतीस) का०आ० 2748(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 1692(अ) जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/एम०पी० सीमा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 2127(अ) जो 17 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (सैंतीस) का०आ० 555(अ) जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (अड़तीस) का०आ० 2825(अ) से का०आ० 2827(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (उदयपुर-अहमदाबाद खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 1693(अ) जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (गुजरात-महाराष्ट्र

सीमा, व्यारा और बाजीपुरा बाईपास के निर्माण सहित) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चालीस) का०आ० 2815(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धौलपुर-मोरेना खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 2821(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (सामाखियाली-गांधीधाम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 1607(अ) जो 1 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (धुलिया-सूरत खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तैंतालीस) का०आ० 2258(अ) जो 4 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क (विस्तार) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चवालीस) का०आ० 2488(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2117(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पैंतालीस) का०आ० 1577(अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (डुबुरी-भुवन खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (छियालीस) का०आ० 1731(अ) जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोली-रिमूली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सैंतालीस) का०आ० 1680(अ) और का०आ० 1681(अ) जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोली-रिमूली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़तालीस) का०आ० 2252(अ) और का०आ० 2233(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (रिमूली-राजामुंडा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनचास) का०आ० 1696(अ) जो 10 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग-नागपुर खण्ड, बाईपासों के निर्माण सहित) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 1817(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-सोलापुर खंड,) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कावन) का०आ० 2119(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2089(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बावन) का०आ० 2564(अ) जो 9 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलौर-नेलामंगला खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तिरपन) का०आ० 2647(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बिजनी-नलबाड़ी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौवन) का०आ० 2641(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोली-रिमूली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 2490(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (डुबुरी-भुवन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छप्पन) का०आ० 2627(अ) जो 16 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोली-रिमूली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तावन) का०आ० 2491(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (कविराजपुर-बीरागोबिन्दपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठावन) का०आ० 2569(अ) जो 9 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोली-रिमूली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनसठ) का०आ० 2648(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (डोलागोबिन्दपुर-मालातिपटपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (साठ) का०आ० 2653(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (भुवन-भडालियापासी-भुवनबेथियापाल खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकसठ) का०आ० 2668(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (उत्तरासासन-पटसाहनीपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बासठ) का०आ० 2670(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (पिटिरी-भुवन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरसठ) का०आ० 2669(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (दरडा-मालीबरही खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौंसठ) का०आ० 2487(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (भुवनेश्वर-उत्तरासासन खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंसठ) का०आ० 2620(अ) जो 15 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (नेलामंगला-तुमकुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (24) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 35 और 37 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 2737(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के, उसमें उल्लिखित भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2738(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के, उसमें उल्लिखित भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2739(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के, उसमें उल्लिखित भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2740(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के, उसमें उल्लिखित भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (25) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2009 जो 13 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/09/2009-एचआर-I में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 जो 22 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/12011/1/95-एडमिन० (पीटी) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) संशोधन विनियम, 2009 जो 2 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या एनएचएआई/बीएम-11041/98/2008-एडमिन^० में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2009 जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचएआई/बीएम-12011/13/95-एडमिन^० (पीटी) में प्रकाशित हुए थे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 7 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 1 दिसम्बर, 2009 को पारित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “यूनाइटेड इंडिया इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार” विषय पर 27वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण।
- (2) “एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार” विषय पर 30वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध निर्माण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में समिति का पहला प्रतिवेदन;
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के संबंध में समिति का दूसरा प्रतिवेदन; और

- (3) 'सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में उर्वरक उद्योग का कार्यनिष्पादन' विषय पर समिति (2008-2009) के 27वें प्रतिवेदन के संबंध में की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

***7. मंत्री द्वारा वक्तव्य**

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत में पहले मानव जीनोम को क्रमबद्ध किए जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.04 बजे

8. ध्यानाकर्षण

श्री बसुदेव आचार्य ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शेरों का विनिवेश करने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में उठाए गए कदमों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

वित्त मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

वित्त मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

#अपराहन 12.41 बजे

9. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखंड)

श्री नमो नारायण मीणा की ओर से श्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए झारखंड राज्य के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(लोक सभा अपराहन 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.01 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.01 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले

*अपराहन 2.24 बजे।

#अपराहन 12.43 बजे से अपराहन 1.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा उड़ीसा में मेगा विद्युत परियोजनाएं लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा केरल के तट्टेकाडु में एवियन रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पीपरहवा (कपिलवस्तु) तीर्थाटन केन्द्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रायापति सांबासिवा राव द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई 'राजीव आरोग्यश्री' सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एस् एस् रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु राज्य में तिरूनेवेली जिले के महेन्द्रगिरि में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) का महेन्द्रगिरि में मुख्यालय के साथ एक अलग इकाई के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वाराणसी-लखनऊ रेलवे लाइन में नीमा अथवा गोपालपुर में ट्रेनों का ठहराव दिए जाने के लिए रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री जसवंत सिंह द्वारा गोरखालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जन-मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित त्रिपक्षीय बातचीत के संबंध में सक्रियता से अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के बंद पड़े कारखाने के स्थान पर एक नई उर्वरक इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए उपाय करने हेतु आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत पर्याप्त निधियां जारी किए जाने तथा सूखे से प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय कृषि बीमा निगम से बीमा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा वर्ष 1951 की जनगणना/1952 की मतदाता सूची पर आधारित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अद्यतन किए जाने के पश्चात् मल्टीपर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के संभलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री आरु थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु में बड़ी सिंचाई योजनाओं की बजाए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री खगेन दास द्वारा त्रिपुरा में एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री प्रबोध पांडा द्वारा पश्चिम बंगाल में आलू उत्पादकों को बीमा प्रतिकर के रूप में राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 8 घंटे 28 मिनट

24 नवम्बर, 2009 को सभा पटल पर रखे गए लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग रिपोर्ट तथा उस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई ज्ञापन के बारे में श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा 7 दिसम्बर, 2009 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस पुनः आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्री पिनाकी मिश्रा
3. श्री अनंत गंगाराम गीते

4. श्रीमती सुषमा स्वराज
5. श्री नामा नागेश्वर राव
6. डा० रतन सिंह अजनाला
7. श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 4.42 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुई)

- 8*. श्री रमाशंकर राजभर

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 5.20 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 5.31 बजे पुनः समवेत हुई)

- 9*. श्री जे० एम० आरुन रशीद
- 10*. श्री विजय बहुगुणा
- 11*. श्री राधा मोहन सिंह
- 12*. श्री पी० करुणाकरन
- 13*. डा० तरुण मंडल
- 14*. श्री नरहरि महतो
- 15*. श्री प्रेमदास कथेरिया
- 16*. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
- 17*. डा० निर्मल खत्री
- 18*. श्री तिरुमावलावन थोल
- 19*. श्री एम० बदरुद्दीन अजमल
- 20*. डा० मिर्जा महबूब बेग

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

21*. श्री एम० आई० शानवास

श्री पी० चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

सायं 6.37 बजे

(लोक सभा बुधवार, 9 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 9 दिसम्बर, 2009/18 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 47

*पूर्वाह्न 11.08 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281, 283, 284 और 285 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 282 और 286—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3125 —3354 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.08 बजे तक सदस्यों ने निवेदन किए।

- (3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैगनेटिज्म, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेन्ट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) टेक्नालॉजी इन्फार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेन्ट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) (एक) नेशनल एक्सीडेंटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एक्सीडेंटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क)(एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख)(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग)(एक) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडन्की के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडन्की के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, उमियम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, उमियम के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2009, जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 572(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2009, जो 20 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 588(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2009, जो 20 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 589(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (27) (एक) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2009 जो 16 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 826(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पर्यावरण (संरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2009 जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 794(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (29) इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2009 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, ईटानगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, चेन्नई, के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, चेन्नई, के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (52) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (53) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) हज कमेटी ऑफ इंडिया के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रबोध पांडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हसन खान ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2009' संबंधी पहला प्रतिवेदन;

(2) 'कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2009' संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री टी०आर० बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'रेल मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों', संबंधी चौथा प्रतिवेदन; और

(2) 'रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2008' संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.04 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) * एक सदस्य द्वारा सभा में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में

श्रीमती सुषमा स्वराज ने 8.12.2009 को सभा में लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान एक सदस्य द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में एक निवेदन किया।

डा० मनमोहन सिंह ने उत्तर दिया।

*पूर्वाहन 11.00 बजे से पूर्वाहन 11.08 बजे तक।

(दो) * रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट सभा में रखे जाने के बारे में

सर्वश्री मुलायम सिंह यादव, शैलेन्द्र कुमार और बसुदेव आचार्य ने रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट सभा में रखे जाने के बारे में निवेदन किए।

डा० मनमोहन सिंह ने उत्तर दिया।

(तीन) श्री के० चन्द्रशेखर राव, संसद सदस्य की भूख हड़ताल के कारण बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में

माननीय अध्यक्ष ने श्री के० चन्द्रशेखर राव, संसद सदस्य, जिनका स्वास्थ्य एक पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर भूख हड़ताल के कारण तेजी से बिगड़ता जा रहा है, के बारे में चिंता व्यक्त की।

निम्नलिखित सदस्यों ने इस संबंध में निवेदन किए:—

1. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री एस्० जयपाल रेड्डी
4. श्री शरद यादव
5. श्री गुरुदास दासगुप्त
6. श्री मुलायम सिंह यादव
7. श्री अनंत गंगाराम गीते
8. श्री टी०आर० बालू
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. डा० रामचन्द्र डोम
11. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री जयंत चौधरी
13. श्री दारा सिंह चौहान
14. डा० रतन सिंह अजनाला
15. श्री असादुद्दीन ओवेसी
16. डा० मिर्जा महबूब बेग
17. डा० तरुण मंडल
18. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
19. श्री भर्तृहरि महताब

श्री वी० नारायणसामी ने उत्तर दिया।

*पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.08 बजे तक।

#अपराहन 12.40 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के नूरनाडु, वल्लीकुन्नम और पुतुर में डाकघर भवनों के निर्माण के लिए डाक विभाग को निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर तथा तमिलनाडु के मेट्टुपालयम के बीच रेल संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) चौधरी लाल सिंह द्वारा मौजूदा जल नीति को संशोधित करके एकसमान उपबंध बनाए जाने और उन्हें जम्मू-कश्मीर की सभी जल परियोजनाओं पर लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी द्वारा हैदराबाद में एक विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री के०सी० वेणुगोपाल द्वारा केरल में प्रस्तावित संयुक्त उद्यम वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषकर केरल रेल कम्पोनेंट लिमिटेड की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कम वर्षा से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने तथा उनके ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री एन०एस०वी० चित्तन द्वारा देश के दुग्ध उत्पादकों को ब्याज की आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री हंसराज गं० अहीर द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखा तथा वर्षा की कमी के कारण व्यथित किसानों तथा मछुआरों को समुचित वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री श्रीमनसुखभाई डी० वसावा द्वारा अत्यावश्यकता के दौरान गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामीणों की सहूलियत के लिए वड़ोदरा-भरूच रेल लाइन पर काशीपुर (सरार) रेलवे स्टेशन के निकट स्थित गेट संख्या 217 खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डा० राजन सुशांत द्वारा देश में वृक्षों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए 'ट्री एम्बुलेंस' शुरू करने हेतु एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराहन 12.26 बजे से अपराहन 12.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (11) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल द्वारा गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री आर०के० सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अल्प वर्षा वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में गहरे सिंचाई नलकूप लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बुद्धिस्ट टुरिस्ट सर्किट को बढ़ावा देने के लिए नालंदा, गया, वाराणसी और पटना को सड़क तथा रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री डी० वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु में चल रही आमाम परिवर्तन की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री दुधगांवकर गणेशराव नागराव द्वारा मराठवाड़ा के गोदावरी नदी बेसिन में भारी वर्षा से प्रभावित व्यथित किसानों तथा लोगों की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा बांग्लादेश के साथ इन्क्लेवों का आदान-प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डा० किरोड़ी लाल मीणा द्वारा राजस्थान के 'म्यू' समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.42 बजे

9. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 4 घंटे 12 मिनट

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2009, राज्य सभा द्वारा यथापारित

डा० एम० वीरप्पा मोइली द्वारा 2 दिसम्बर, 2009 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जय प्रकाश अग्रवाल (भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री शरीफुद्दीन शरीक
3. डा० तरुण मंडल
4. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम

डा० एम० वीरप्पा मोइली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 6 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

डा० एम० वीरप्पा मोइली द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 1.40 बजे

***10. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन**

आवंटित समय	: 4 घंटे
लिया गया समय	: 20 मिनट
शेष	: 3 घंटे 40 मिनट

श्री राजू शेट्टी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्टूबर, 2009 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।”

***11. सरकारी विधेयक—विचाराधीन**

आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009

श्री शरद पवार की ओर से प्रो० के०वी० थामस द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री राजू शेट्टी ने उपर्युक्त संकल्प और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा में भाग लिया उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 56 मिनट

डा० मुरली मनोहर जोशी ने हाल में हुई घटनाओं के विशेष संदर्भ में भारत-चीन के बारे में एक चर्चा उठाई।

*एक साथ चर्चा की गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संदीप दीक्षित
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री विजय बहादुर सिंह
4. श्री जगदीश शर्मा
5. श्री खगोन दास
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री अनंत गंगाराम गीते
- *8. श्री अर्जुन राम मेघवाल
- *9. श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल
- *10. श्री राधा मोहन सिंह
11. डा० राजन सुशांत
12. श्री संजय तकाम
13. श्री जगदानन्द सिंह
14. श्री प्रबोध पांडा
15. डा० मिर्जा महबूब बेग
16. श्री प्रेमदास दाय
17. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
18. श्रीमती विजय चक्रवर्ती
19. डा० तरुण मंडल

श्री एस० एम० कृष्णा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

सायं 5.56 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—5316LS(S5)—09-12-2009.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2009/19 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 48

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301, 302, 303, 305, 306 और 307 के मौखिक उत्तर दिए गए।
तारांकित प्रश्न संख्या 304 और 308—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3355—3539 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रतिवेदन संख्या 226—तेजाब फेंकने की घटनाओं को भारतीय दंड संहिता में विशिष्ट अपराध के रूप में शामिल किया जाना तथा अपराधपीड़ितों के लिए प्रतिकर हेतु एक विधि—जुलाई, 2009

- (दो) प्रतिवेदन संख्या 227—इस्लाम धर्म परिवर्तन के माध्यम से द्विविवाह को रोकना—उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों को सांविधिक प्रभाव देने संबंधी प्रस्ताव—अगस्त, 2009
- (तीन) प्रतिवेदन संख्या 228—सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिकों के विनियमन के साथ-साथ किराए के कोख के पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्यों के लिए विधान की आवश्यकता—अगस्त, 2009
- (चार) प्रतिवेदन संख्या 229—दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ और दिल्ली, चेन्नई/हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई क्षेत्रों में कैसेशन पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता—अगस्त, 2009
- (पांच) प्रतिवेदन संख्या 230—न्यायपालिका में सुधार हेतु कुछ सुझाव—अगस्त, 2009
- (छह) प्रतिवेदन संख्या 231—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 जिसके अंतर्गत संदायगी के विभिन्न रूपों की अनुमति दी गई है, में संशोधन—अगस्त, 2009
- (सात) प्रतिवेदन संख्या 232—न्यायाधिकरण के सभापतियों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता की आवश्यकता—अगस्त, 2009
- (आठ) प्रतिवेदन संख्या 233—दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन जिससे शिकायतों को पुनः स्थापित किया जा सके — अगस्त, 2009
- (नौ) प्रतिवेदन संख्या 234—सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए विधिक सुधार—अगस्त, 2009
- (2) (एक) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (खतरनाक वस्तुओं का वहन) संशोधन नियम, 2009 जो 13 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 823(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) कं॒पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कं॒पनी (इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और दस्तावेज का अधिप्रमाणन) संशोधन नियम, 2009 जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 642(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कं॒पनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रारूप (चौथा संशोधन) नियम, 2009 जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 643(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) कं॒पनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रारूप (पांचवां संशोधन) नियम, 2009 जो 8 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) कं॒पनी अधिनियम, 1956 की धारा 610ख की उपधारा (2) के अंतर्गत “स्कीम फॉर फाइलिंग ऑफ स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स एण्ड अदर ट्रांजैक्शन्स बाई कम्पनीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड” (अमेंडमेंट) स्कीम, 2009, जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2276(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (6) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, जो 13 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2006 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2007 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2008 में प्रकाशित हुए थे।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 20 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 104/34/ अकाउंट्स-रिपोर्ट ऑफ काउंसिल में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 104/27/ अकाउंट्स-रिपोर्ट ऑफ काउंसिल में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 104/28/ अकाउंट्स-रिपोर्ट ऑफ काउंसिल में प्रकाशित हुए थे।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 29 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/57/2006 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 28 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/58/2007 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/59/2008 में प्रकाशित हुए थे।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत उसमें उल्लिखित कंपनियों को निधि के रूप में घोषित किया जाना जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 522(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल मानइरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस एण्ड कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल मानइरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस एण्ड कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (15) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) आरआईटीईएस (राइट्स) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आरआईटीईएस (राइट्स) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (17) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेलवे दावा अधिकरण (सभापति, उप-सभापति और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तों) संशोधन नियम, 2009 जो 17 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 828(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) बड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) उपर्युक्त (19) की मद संख्या (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) (एक) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) टेक्सटाइल्स कमिटी, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्सटाइल्स कमिटी, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) अपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अपरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (च) (एक) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सोल्वेन्ट, रैफिनेट और स्लोप (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2009 जो 3 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 561(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (दो) सोल्वेन्ट रैफिनेट और स्लोप (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2009 जो 23 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 835(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (32) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया, प्रारूप, शुल्क और कार्यवाही वृत्तांत) नियम, 2009 जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 812(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6क की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकांनि० 615(अ) जो 29 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (35) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एंड्रयू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एंड्रयू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) स्कूर्त्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्कूर्त्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) नेपा लिमिटेड, बुरहानपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेपा लिमिटेड, बुरहानपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (झ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ठ) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ढ) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रूडस (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडस (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ण) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (36) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखेपरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार बुंडावल्ली ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री एसपी० वाई० रेड्डी ने जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

#7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

कुमारी ममता बनर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराहन 12.04 बजे

9. सदस्य द्वारा निवेदन

एक पृथक तेलंगाना राज्य के गठन को सुकर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहल के बारे में

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सभा के हस्तक्षेप के कारण केन्द्र सरकार द्वारा एक पृथक तेलंगाना राज्य के गठन को सुकर बनाने के लिए की गई पहल के बारे में एक निवेदन किया।

श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तर दिया।

अपराहन 12.23 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री कमल किशोर द्वारा उत्तर प्रदेश में बहराइच के सुहेल देव तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एंटो एंटोनी द्वारा केरल की वेम्बनाड झील की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा वर्ष 1981 के करार के अंतर्गत रावी और व्यास नदियों का अधिशेष पानी राजस्थान को दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा जीवन बीमा निगम अभिकर्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 7.06 बजे।

* अपराहन 12.08 बजे से अपराहन 12.22 बजे तक सदस्यों ने अविजलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (5) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता, सिलिगुड़ी और हावड़ा शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.24 बजे

***11. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत**

लिया गया समय : 3 घंटे 59 मिनट

श्री राजू शेटी द्वारा 9 दिसम्बर, 2009 को पेश किए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही, अर्थात्:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्टूबर, 2009 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।”

जैसा कि नीचे पैरा 12 में सूचित किया गया है, चर्चा के पश्चात् संकल्प को अस्वीकृत किया गया।

***12. सरकारी विधेयक—पारित**

आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009

सांविधिक संकल्प (उपर्युक्त पैरा 11 देखें) तथा प्रो० के० वी० थॉमस द्वारा 9 दिसम्बर, 2009 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजू शेटी (भाषण पुनः आरंभ किया)
2. डा० पी०एल० पुनिया
3. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
6. शेख सैदुल हक

*एक साथ चर्चा की गई।

7. श्री नित्यानन्द प्रधान
8. श्री एस् सेम्मलई
9. श्री जगदम्बिका पाल
10. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
11. श्री टी०आर० बालू
12. श्री प्रबोध पांडा
13. श्रीमती जयाप्रदा
14. श्री नामा नागेश्वर राव
15. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
16. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
17. श्री ए० गणेशमूर्ति
18. श्री राजाराम पाल
19. श्री घनश्याम अनुरागी
20. डा० विनय कुमार पाण्डेय

श्री शरद पवार ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री राजू शेट्टी ने भाषण दिया (इस सांविधिक संकल्प के उत्तर के रूप में)

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शरद पवार ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 4.04 बजे

13. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2009-2010

लिया गया समय: 3 घंटे 51 मिनट

वर्ष 2009-2010 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 2, 4 से 7, 9, 11, 12, 14, 17 से 21, 28 से 33, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67, 71, 74, 79, 80, 84, 86 से 88, 90 से 93, 100, 101 और 103 से 105 पर चर्चा आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री यशवंत सिन्हा
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पांडेय
5. श्री मंगनी लाल मंडल
6. श्री बंस गोपाल चौधरी
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री आनंदराव अडसूल
9. श्री विष्णु पद राय
10. डा० थोकचोम मैन्या
11. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री प्रबोध पांडा
13. श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर
14. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
15. श्री तूफानी सरोज

16. श्री पी० करुणाकरन

17. डा० संजय जायसवाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*रात्रि 8.15 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 2009 के पूर्वान्हन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*सांय 7.55 बजे से रात्रि 8.15 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 11 दिसम्बर, 2009/20 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 49

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की आठवीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321, 324, 325, 326 और 328 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 322, 323, 327 और 329—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3540—3769 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) नेशनल को-आपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (3) नेशनल को-आपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) ट्राईबल को-आपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (5) ट्राईबल को-आपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन और अंतरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 813(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 836(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 837(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा लेखे) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 838(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (9) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई का 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 39वां मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) प्रतीचि (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रतीचि (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रथम श्रेणी अधिकारी (सेवा शर्तें और निर्बंधन की पुनरीक्षा) (संशोधन) नियम, 2009, जो 2 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 631(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम (बीमांकक अभियोग्यता के इनहाउस विकास हेतु विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2009, जो 15 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि° 753(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निर्बंधन व शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009, जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 818(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निवारण (कार-बार की प्रकृति और मूल्य) के अभिलेखों की प्रविष्टि, प्रविष्टि की प्रक्रिया और विधि तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती कंपनियों के क्लाइंटों की पहचान और अभिलेख, रखना और सत्यापन संशोधन नियम, 2009 जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 816(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (14) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय निधि) संशोधन नियम, 2009 जो 19 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 581(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (15) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (विवाद-निपटान नामिका) नियम, 2009 जो 20 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 2958(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (16) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि० 576(अ) जो, 17 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के०उ०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि० 704(अ) जो, 25 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 44/2001-के०उ०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सांकांनि 830(अ) जो, 18 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बिना मशीन की सहायता से हाथ से बनाई गई बीड़ी, माचिस और आरसीसी पाइपों का विनिर्माण करने वाले निर्धारितियों को वार्षिक स्थापित क्षमता विवरण अर्थात् ईआर-7 विवरणी में प्रस्तुत किए जाने से छूट प्रदान किए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 772(अ) जो, 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो लघु उद्योग इकाई द्वारा विनिर्मित, उसमें उल्लिखित पैकिंग सामग्री, जहां कि विनिर्माता ने माल विशेष पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम या ट्रेड नाम लगा रखा है जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट प्राप्त करने का पात्र नहीं है, को छूट प्रदान किए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (17) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकांनि 1570(अ) जो, 26 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यात के माल के मूल्यांकन के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में या इसके विपरीत विनिमय की दर निर्धारित किए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि 1603(अ) जो, 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि 1679(अ) जो, 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एशिया-पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स, 2006 के अंतर्गत माल के उद्गम के निर्धारण में संशोधन को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि 1748(अ) जो, 15 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) सांकांनिं 1808(अ) जो, 22 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 68/2009-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनिं 1857(अ) जो, 29 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यात के माल के मूल्यांकन के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में या इसके विपरीत विनिमय की दर निर्धारित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनिं 1870(अ) जो, 31 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनिं 2123(अ) जो, 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनिं 2193(अ) जो, 27 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यात के माल के मूल्यांकन के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में या इसके विपरीत विनिमय की दर निर्धारित किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकांनिं 2209(अ) जो, 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांकांनिं 2382(अ) जो, 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सींशुं (एनंटीं) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकांनिं 2460(अ) जो, 25 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यात के माल के मूल्यांकन के

उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में या इसके विपरीत विनिमय की दर निर्धारित किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेरह) सांकांनि 2492(अ), जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांकांनि 2622(अ), जो 15 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) सांकांनि 2667(अ), जो 22 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यात के माल के मूल्यांकन के उद्देश्य से स्वीडन के क्रोनर का भारतीय मुद्रा में या इसके विपरीत विनिमय की दर निर्धारित किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सांकांनि 2713(अ), जो 28 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आयातित और निर्यात के माल के मूल्यांकन के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्रा का भारतीय मुद्रा में या इसके विपरीत विनिमय की दर निर्धारित किए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सांकांनि 2734(अ), जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (18) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

- (दो) देना बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (चार) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (पांच) विजया बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (छह) यूको बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (सात) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (आठ) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (नौ) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (दस) केनरा बैंक के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सिक्क्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिक्क्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) निक्षेप बीमा तथा साख प्रत्याभूति निगम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निक्षेप बीमा तथा साख प्रत्याभूति निगम, मुंबई का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (21) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 28 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (मुद्रा वापसी) नियम, 2009 जो 17 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 125 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) प्रतिची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) प्रतिची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (26) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य निर्वहन) विनियम, 2009 जो 3 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-01/2009 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र की स्थापना) विनियम, 2009 जो 6 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-04/2009 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 22 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 6/2/2009-जेईआरसी में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) विनियम, 2009 जो 3 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-02/2009 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति तथा कार्य) विनियम, 2009 जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-03/2009 में प्रकाशित हुए थे।
- (27) अधिसूचना संख्या का०आ० 2076(अ) जो 10 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 10 अगस्त, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया था जिस दिन से औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के उपबंध लागू होंगे, जोकि उक्त अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत जारी किये गये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 677(अ) जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 'ओसेलटामीविर फास्फेट' और 'जानामीविर' औषधि के विनिर्माण, बिक्री अथवा वितरण और उन पर आधारित निर्मितियों जो मानव में एच1एन1 विषाणुजन्य इन्फ्लूएंजा (स्वाइन फ्लू) को विनियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने और जनहित में उनके दुरुपयोग को रोके जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (29) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2009 जो 20 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 764(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(34) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) अधिसूचना संख्या 137/2009-सीमाशुल्क जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) अधिसूचना संख्या 138/2009-सीमाशुल्क जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० 69/2004-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) अधिसूचना संख्या 139/2009-सीमाशुल्क 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं० 20/2006-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वित्त मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों तथा मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग से संबंधित जारी नोटों के परिचालन के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 73वें और 79वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.05 बजे

6. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र के शेष भाग के लिए कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

**7. ध्यानाकर्षण

श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर शहर को श्रेणी 'ख' से श्रेणी 'ग' में अंतरित कर जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के पैटर्न पर 'हेरिटेज सिटी' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में शहरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

* अपराहन 2 बजे।

** अपराहन 12.16 बजे से अपराहन 12.46 बजे तक।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराहन 12.15 बजे

8. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 10 दिसम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2009

10. अध्यादेश के बारे में विवरण

श्री सलमान खुशीद ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 6) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 12.50 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 1.02 बजे पुनः समवेत हुई)*

अपराहन 1.02 बजे

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2009-2010

लिया गया समय: 4 घंटे 45 मिनट

वर्ष 2009-10 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री प्रणब मुखर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1, 2, 4 से 7, 9, 11, 12, 14, 17 से 21, 28 से 33, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67, 71, 74, 79, 80, 84, 86 से 88, 90 से 93, 100, 101 और 103 से 105 (राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे दोनों)

वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

12. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2009

13. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2009

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 1.56 बजे

14. (एक) * झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009

(दो) * अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखण्ड)—2009-10

लिया गया समय: 1 घंटा 3 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009

(दो) बजट (झारखण्ड) 2009-10 के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 3, 6, 9, 10, 18, 21 से 23, 26, 27, 30, 33, 39 से 42, 44, 47, 48 और 51.

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री यशवंत सिन्हा
2. श्री जगदम्बिका पाल

*एक साथ चर्चा की गई।

3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
5. श्री विजय बहादुर सिंह

श्री नमोनारायण मीणा ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) श्री नमोनारायण मीणा द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नमोनारायण मीणा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(दो) अनुपूरक अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 3, 6, 9, 10, 18, 21 से 23, 26, 27, 30 33, 39 से 42, 44, 47, 48 और 51 (राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे दोनों) वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखण्ड) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

15. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009

16. सरकारी विधेयक—पारित

झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009

श्री नमोनारायण मीणा द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नमोनारायण मीणा द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.30 बजे

17. प्रस्ताव

श्री प्रबोध पांडा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 9 दिसम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प — वापस लिया गया।

श्री सतपाल महाराज द्वारा 10 जुलाई, 2009 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और कि स्वजलधारा और त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल योजनाओं का समुचित रूप से कार्यान्वयन और अनुवीक्षण नहीं किया जा रहा है, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना बनाई और कार्यान्वित की जाए।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के०सी० सिंह 'बाबा'
2. श्री मनोहर तिरकी
3. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
4. श्री मिर्जा महबूब बेग
5. श्री विजय बहादुर सिंह
6. श्री प्रेम दास कथीरिया
7. अर्जुन मेघवाल
8. डा० तरुण मंडल

सुश्री अगाथा संगमा ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री सतपाल महाराज ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

अपराहन 4.26 बजे

19. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

राजकुमारी रत्ना सिंह ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों, जिन्हें पूर्वांचल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की तर्ज पर इस क्षेत्र के लिए भी विशेष आर्थिक विकास पैकेज तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए तुरंत कदम उठाए।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. श्री शैलेन्द्र कुमार
3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री हर्ष वर्धन (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.17 बजे

(लोक सभा सोमवार, 14 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

* सायं 6.01 बजे से सायं 6.17 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 14 दिसम्बर, 2009/23 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 50

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 342, 345, 347, 350 और 351 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 341, 343, 344, 346, 348, 349 और 352—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3770—3936 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) पूर्ववर्ती-बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पूर्ववर्ती-बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

- (दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (दो) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) मुर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मुर्मूगाव के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मंगलोर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि ट्रस्ट) मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि ट्रस्ट) मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, कोचीन के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (27) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2009 जो 20 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 2957(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) इंडियन एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (34) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (37) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 9 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 736(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि 737(अ), जो 9 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें अधिसूचना में उल्लिखित व्यवसायों अथवा विषयों के साथ व्यावसायिक परीक्षण अथवा परीक्षा के संबंध में तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य परिषद को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (40) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (41) सिविल अधिकार (संरक्षण) अधिनियम, 1955 की धारा 15क के अंतर्गत वर्ष 2007 के लिए सिविल अधिकार (संरक्षण) अधिनियम, 1955 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 के अंतर्गत 2007 के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (44) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (45) (एक) समीर (सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च), मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समीर (सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च), मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) साइबर विनियम अपीलीय अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 16 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 95(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) साइबर अपीलीय अधिकरण (चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 778(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) साइबर अपीलीय अधिकरण (चेयरपर्सन और सदस्यों के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के अन्वेषण की प्रक्रिया) नियम, 2009 जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 779(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के इंटरसेप्शन, मॉनीटरिंग और डिक्लिप्शन की प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009 जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के अभिगम को रोकने की प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009 जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 781(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) सूचना प्रौद्योगिकी (यातायात आंकड़े अथवा जानकारी के अनुश्रवण और संग्रहण हेतु प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009 जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 782(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (48) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांआ० 2689 जो 27 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 27 अक्टूबर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित “रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण—सरकारी निजी भागीदारी” के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की ओर से श्री आनंद शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.04 बजे

#6. ध्यानाकर्षण

श्री योगी आदित्यनाथ ने देश में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर (इन्सेफेलाइटिस) के मामले में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*7. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रविधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2009

(लोक सभा अपराहन 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्री हर्ष वर्धन ने सशस्त्र सीमा बल के लिए आवासीय और कार्यालय परिसरों के निर्माण हेतु महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के सीमांत किसानों की भूमि का अधिग्रहण किए जाने का निर्णय वापस लिए जाने के बारे में मामला उठाया।
- (2) श्री मधु गौड़ यास्वी ने आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु उनके साक्षरता दर में वृद्धि करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (3) डा० प्रभा किशोर ताविआड ने गुजरात में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को स्ववित्तपोषित कॉलेजों में परिवर्तित करने का निर्णय रोके जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 12.48 बजे से अपराहन 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*अपराहन 12.44 बजे।

- (4) श्री पोन्नम प्रभाकर ने आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में रामागुंडम फर्टिलाईजर कारखाने के पुनरुद्धार की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) श्री जय प्रकाश अग्रवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (6) श्रीमती संतोष चौधरी ने जिला होशियारपुर, पंजाब में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (7) डा० बोचा झांसी लक्ष्मी ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किए जाने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (8) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में इस्पात संयंत्र की स्थापना में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (9) श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से गेहूं का बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (10) श्री वीरेन्द्र कश्यप ने हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (11) श्री आर०के० सिंह पटेल ने उत्तर प्रदेश के गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (12) श्री गोरखनाथ पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में नीलगायों से हो रही क्षति को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (13) श्री भर्तृहरि महताब ने उड़ीसा राज्य के लिए लौह-अयस्क और अन्य खनिजों की कीमतें मूल्यानुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 2.24 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 30 मिनट

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2009

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री सलमान खुशीद द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

- (1) श्री निशिकांत दुबे
- (2) श्री संजय निरूपम
- (3) श्री शैलेन्द्र कुमार
- (4) डा० अनूप कुमार साहा
- (5) श्री पिनाकी मिश्रा
- (6) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
- (7) डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
- (8) श्री अर्जुन राम मेघवाल

श्री सलमान खुर्शीद ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सलमान खुर्शीद ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.55 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 11 मिनट

सौराष्ट्र स्टेट बैंक (निरसन) और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक 2009

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से श्री नमोनारायण मीणा द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती सुमित्रा महाजन
2. श्री पी० सी० चाको

3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. श्री टी० के० एस्० इलेंगोवन
6. श्री ए० सम्पत
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री जगदानन्द सिंह
9. श्री प्रबोध पांडा
10. श्री नारनभाई कछाड़िया
11. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
12. श्री एस्० एस्० रामासुब्बू
13. श्री जय प्रकाश अग्रवाल

श्री नमोनारायण मीणा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 11 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नमोनारायण मीणा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 6.07 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) चौधरी लाल सिंह द्वारा देश में टेलीफोन और मोबाइल उपभोक्ताओं के सामने आ रही कठिनाइयों के संबंध में; (दो) श्रीमती जयाप्रदा द्वारा उत्तर प्रदेश में श्मसान भूमि और ग्रामीणों की भूमि पर अतिक्रमण की जांच किए जाने की आवश्यकता

* सायं 6.07 बजे से सायं 6.48 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

के संबंध में; और (तीन) डा० मिर्जा महबूब बेग द्वारा जम्मू और कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल फोन सेवाओं पर प्रतिबंध के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में उठाए गए मामलों का डा० फारुख अब्दुल्ला ने उत्तर दिया।

सायं 6.48 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 15 दिसम्बर, 2009/24 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 51

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361—365 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 366—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3937—4166 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइन्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कॅयर उद्योग (रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2009 जो 26 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3016(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) कॅयर उद्योग (सेवा) संशोधन उपविधि, 2009 जो 26 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 846(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (9) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) विनियम, 1994 की धारा 204 के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद में सचिव की नियुक्ति) नियम, 2009 जो 17 जुलाई, 2009 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 87/09/एफ. संख्या 3-15/96-एलएसजी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वरिष्ठ निजी सचिव भर्ती नियम, 2009 जो 8 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उपनिरीक्षक (लाइब्रेरियन) भर्ती नियम, 2009 जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) निरीक्षक (आशुलिपिक) और सूबेदार मेजर (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2009 जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 730(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिन्दी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2009 जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (क) (एक) स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (19) उपर्युक्त (18) की मद संख्या (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पुवाड़ बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2009 जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 841(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) करंज बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2009 जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 842(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (21) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज़ एण्ड फार्मर्स राईट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज़ एण्ड फार्मर्स राईट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज़ एण्ड फार्मर्स राईट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (निधि, लेखे और बजट का प्रशासन) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल/एनडीडीबी 02/09 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (32) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (34) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1578(अ) और का०आ० 1579 (अ) जो 30 जून, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 (पानीकोइली-रिमूली खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2835(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 (मालीबरही-सिरियापुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2812(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चार) का०आ० 2997(अ) और का०आ० 2998(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-कीरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 3040(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (त्रिची-मेलूर-मदुरै खंड) के प्रयोक्ताओं से शुल्क उद्गृहित किए जाने के बारे में है।
- (छह) का०आ० 2992(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (मोरा बाजार-खलोईघूघटी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 3012(अ) और का०आ० 3013(अ) जो 25 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 (बाइपासों के निर्माण सहित जोराबाट-बारापानी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 2951(अ) जो 19 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 394(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का०आ० 2834(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली-कीरतपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 2796(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 2009 के अधिसूचना संख्या का०आ० 656(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (ग्यारह) कांआ० 2797(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या कांआ० 2013(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बारह) कांआ० 2819(अ) और कांआ० 2820(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) कांआ० 2963(अ) जो 20 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का विरूधुनागा-कोविलपट्टी खंड के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।
- (चौदह) कांआ० 3022(अ) जो 26 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का कोविलपट्टी से कायातर खंड के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।
- (पंद्रह) कांआ० 3023(अ) जो 26 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का तिरूनेलवेल्ली से पाननगुडी खंड के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।
- (सोलह) कांआ० 3024(अ) जो 26 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-देवनहल्ली खंड के प्रयोक्ताओं से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।
- (सत्रह) कांआ० 2816(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (झांसी-भोगनीपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अठारह) का०आ० 2853(अ) जो 9 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 2897(अ) जो 16 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 939(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बीस) का०आ० 2940(अ) जो 18 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 (मुरादाबाद-बरेली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 2988(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24(दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (बाईस) का०आ० 1668(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (तेईस) का०आ० 1707(अ) और का०आ० 1710(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7(बंगलौर-सेलम-मदुरै खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 1711(अ) और का०आ० 1712(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पच्चीस) कांआ० 1815(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) कांआ० 2064(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सताईस) कांआ० 1816(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूप्पुकोट्टई-थुथुकुडी खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अट्ठाईस) कांआ० 2539(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या कांआ० 2047 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनतीस) कांआ० 2541(अ) और कांआ० 2542(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बाईपास के निर्माण सहित सेलम-करूर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) कांआ० 2543(अ) और कांआ० 2544(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बाईपास के निर्माण सहित मुदुरै-कन्याकुमारी खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (इकतीस) का०आ० 2601(अ) जो 14 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिचीडिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 2649(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए विशेष जिला राजस्व अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग-7, 46 और 47 कृष्णागिरी, को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (तैंतीस) का०आ० 2650(अ) से का०आ० 2652(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न खंडों का प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (चौतीस) का०आ० 2060(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वालायार-त्रिसुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पैंतीस) का०आ० 2530(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाला चेन्नई बाईपास (चरण-2) के निर्माण (विनिर्माण), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 2643(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (सैंतीस) का०आ० 2793(अ) और का०आ० 2794(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न खंडों के प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन के लिए विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), एनएच, विलुपुरम, को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (अड़तीस) का०आ० 2795(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि अर्जन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), एनएच, कृष्णागिरी, को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (उनतालीस) का०आ० 2975(अ) जो 23 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-दो (इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऑफ डेलही) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (चालीस) का०आ० 1234(अ) जो 15 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (इकतालीस) का०आ० 1634(अ) और का०आ० 1635(अ) जो 6 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न खंडों के प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (बयालीस) का०आ० 1667(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास सहित त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन

वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (तैतालीस) का०आ० 1669(अ) और का०आ० 1670(अ) जो 8 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूपुकोट्टई-थूथुकुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने इत्यादि), अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न खंडों के प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (चौवालीस) का०आ० 1716(अ) और का०आ० 1717(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास के निर्माण सहित त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न खंडों का प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पैंतालीस) का०आ० 1741(अ) जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (बाईपास सहित त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के बारे में है।
- (छियालीस) का०आ० 1814(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी तिरुपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (सैंतालीस) का०आ० 1833(अ) से का०आ० 1836(अ) जो 27 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न खंडों का प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (अड़तालीस) का०आ० 1863(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न खण्डों के प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (उनचास) का०आ० 2061(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और विभिन्न खंडों के प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 2062(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 2063(अ) जो 7 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरी-थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (बावन) का०आ० 2248(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजौर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (तिरपन) का०आ० 2973(अ) जो 23 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 514(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौवन) का०आ० 2974(अ) जो 23 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

एनई-2 (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (पचपन) का०आ० 2720(अ) जो 29 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छप्पन) का०आ० 2639(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1696(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तावन) का०आ० 2836(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/उन्नयन करने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन करने के लिए विशेष भू-अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग बंगलौर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (अट्ठावन) का०आ० 2838(अ) जो 4 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (उनसठ) का०आ० 2791(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (देवास-इंदौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (साठ) का०आ० 2789(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 340(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (इकसठ) का०आ० 2642(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1107(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बासठ) का०आ० 2990(अ) जो 24 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (लखनडोन-सिरुनी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (तिरसठ) का०आ० 1704(अ) जो 13 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (चौसठ) का०आ० 1682(अ) जो 9 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (बाईपास सहित मुजफ्फरपुर—पुर्णिया खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (पैंसठ) का०आ० 2645(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (डालखोला बाईपास खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (छियासठ) का०आ० 2082(अ) जो 11 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सड़सठ) का०आ० 2242(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अड़सठ) का०आ० 2434(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बख्तियारपुर-बेगुसराय-खगड़िया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनहत्तर) का०आ० 2253(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 और 84 (पटना-बक्सर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तर) का०आ० 2814(अ) जो 3 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और 85 (हाजीपुर-छपरा-गोपालगंज खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकहत्तर) का०आ० 2654(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28क (रक्सौल बाईपास खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बहत्तर) का०आ० 2656(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बख्तियारपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिहत्तर) का०आ० 2662(अ) जो 21 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौहत्तर) का०आ० 2477(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचहत्तर) का०आ० 2568(अ) जो 9 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बक्सर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छिहत्तर) का०आ० 1754(अ) से का०आ० 1756(अ) जो 16 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-रांची खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतहत्तर) का०आ० 2241(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 500(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठहत्तर) का०आ० 2476(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुंगेर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनासी) का०आ० 2589(अ) जो 12 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अस्सी) का०आ० 2631(अ) जो 20 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्यासी) कांआ० 2971(अ) जो 23 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिकारी, (अर्बन इस्टेट), फरीदाबाद को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(35) उपर्युक्त (34) के मद संख्या (चालीस) से (पैंतालीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी ने “सरकारी क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड द्वारा महिलाओं के लिए ऋण-सुविधाएं” विषय पर समिति के 20वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा त्यक्त भारतीय महिलाओं की दशा” विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही विवरण।
- (2) “महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा योजनाएं” विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही विवरण।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती सुषमा स्वराज ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी

मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 22वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण।

- (2) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 23वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण।

7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के “स्वाइन फ्लू से निजात पाने के लिए दवाओं का उत्पादन और उपलब्धता” विषय पर समिति का पांचवां प्रतिवेदन।

*अपराहन 12.06 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) कृषि मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित “भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव” विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (दो) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

* अपराहन 12.07 बजे से अपराहन 12.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 12.11 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री के०सी० वेणुगोपाल द्वारा राष्ट्रीय विषाणु संस्थान अलप्पुझा, केरल का उन्नयन करके इसे राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, पुणे के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एस० अलागिरी द्वारा तमिलनाडु के विशेषरूप से कुड्डालोर जिले के पुराने मत्स्यन पत्तनों को नई प्रौद्योगिकी पर आधारित मत्स्यन पत्तनों से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा प्राकृतिक वनीला आधारित उत्पादों की पहचान सांस्लेषिक उत्पादों से पृथक किए जाने के उद्देश्य से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अनुसार सभी वनीला उत्पादों पर लेबल का अनिवार्य प्रदर्शन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री मोहम्मद असरारुल हक द्वारा बिहार के किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री प्रताप सिंह बाजवा द्वारा पंजाब में नहर सिंचाई के लिए किसानों को हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डा० भोला सिंह द्वारा बिहार के बरौनी में गैस आधारित उर्वरक कारखाना खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा 1994 के समझौते के अनुसार यमुना नदी का जल हरियाणा से राजस्थान को आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा सिलचर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भाषा शहीद स्टेशन रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रमेन डेका द्वारा असम के दारंग जिले में रेल संपर्क उपलब्ध कराने तथा कामरूप जिले के रंगिया में राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 और 106 का उन्नयन करने और चौड़ा करने, भागलपुर बाईपास को पूरा करने तथा कोसी नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के विशेषरूप से फतेहपुर जिले में पेयजल की अत्यधिक कमी की समस्या का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री महेश्वर हजारी द्वारा बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा पैन कार्ड प्रस्तुत किए बगैर बैंकों में रोकड़ लेन-देन और जमा की सीमा बीस हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा खड़गपुर जंक्शन और बालासोर रेलवे स्टेशन के बीच ईएमयू रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री चार्ल्स डिएस द्वारा देश में आंग्ल-भारतीय समुदाय के हितों की रक्षा किए जाने और उन्हें बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री जोसफ़ के० मणि द्वारा अनुसूचित जाति के इसाई व्यक्तियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.12 बजे

10. संकल्प

(एक) कुमारी ममता बनर्जी की ओर से श्री के०एच० मुनियप्पा ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा संकल्प करती है कि भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व को वर्तमान में संदेय लाभांश की दर तथा सामान्य राजस्व की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक विषयों की समीक्षा करने तथा उन पर अपनी सिफारिशें करने हेतु अध्यक्ष द्वारा इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए।”

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(दो) कुमारी ममता बनर्जी की ओर से श्री के०एच० मुनियप्पा ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह भारतीय रेल द्वारा सामान्य राजस्व को वर्तमान में संदेय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक विषयों की समीक्षा करने तथा उन पर अपनी सिफारिशें करने हेतु राज्य सभा से छह सदस्यों को संसदीय समिति के साथ सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 12.31 बजे

11. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2009-10

लिया गया समय: 6 घंटे 11 मिनट

वर्ष 2009-10 के लिए बजट (रेल) की अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 पर चर्चा आरंभ हुई।

पांच कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 5) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री लालजी टंडन
2. श्री भक्त चरण दास
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री गोरख नाथ पाण्डेय
5. श्री दिनेश चन्द्र यादव
6. डा० काकोली घोष दस्तदार
7. डा० रामचन्द्र डोम
8. श्री नित्यानंद प्रधान
9. श्री चन्द्रकांत खैरे

10. श्री समीर भुजबल
11. श्री दारा सिंह चौहान
12. श्री राधा मोहन सिंह
- *13. डा० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
14. श्री संजय निरुपम
- *15. श्री शफीकुर रहमान बर्क
16. श्री टी०के०एस० एलेंगोवन
17. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
- *18. श्री अधीर रंजन चौधरी
19. श्री प्रबोध पाण्डा
- *20. श्री दत्ता मेघे
21. श्री राकेश सचान
- *22. श्री रमाशंकर राजभर
- *23. श्री वीरेन्द्र कश्यप
24. श्रीमती सुमित्रा महाजन
25. श्रीमती संतोष चौधरी
26. श्री पी० लिंगम
- *27. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
28. श्री शेर सिंह घुबाया
- *29. श्री जयराम पांगी
30. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
- *31. श्री सुभाष बापूराव वानखेडे
32. श्री दुष्यंत सिंह
33. डा० रतन सिंह अजनाला
- *34. डा० चार्ल्स डिएस

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *35. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
- 36. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
- *37. श्री अर्जुन राम मेघवाल
- *38. श्री देवजी मानसिंह राम पटेल
- 39. श्री मोहम्मद ईंटी० बशीर
- 40. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
- *41. श्री प्रेमदास कथीरिया
- 42. श्री मानिकराव होडल्या गावित
- 43. श्रीमती मीना सिंह
- 44. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ
- 45. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
- 46. श्री ए० गणेशमूर्ति
- *47. श्री रमेन डेका
- *48. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- 49. श्री एंटी० नाना पाटील
- *50. श्री योगी आदित्यनाथ
- *51. श्री हर्ष वर्धन
- 52. चौधरी लाल सिंह
- *53. श्रीमती रत्ना डे
- *54. श्री राम सिंह कस्वां
- 55. श्री कमल किशोर
- *56. श्री नवीन जिन्दल
- 57. श्री एन०एस०वी० चित्तन
- *58. श्री नारनभाई कच्छाडिया
- *59. श्री एम०बी० राजेश

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

60. श्री गणेश सिंह
61. श्री राम किशुन
- *62. डा० पन्ना लाल पुनिया
63. डा० विनय कुमार पाण्डेय
- *64. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
65. श्री जगदानन्द सिंह
66. श्री सतपाल महाराज
67. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
- *68. श्री संजय धोत्रे
- *69. श्री रुद्रमाधव राय
- *70. श्री रावसाहेब पाटील दानवे
71. श्री अवतार सिंह भडाना
72. डा० राजन सुशान्त
- *73. श्री हंसराज गं० अहीर
74. श्री इन्द्रजीत राव सिंह
- *75. श्री एम० कृष्णास्वामी
76. श्री राजा राम पाल
- *77. श्री सुरेश अंगड़ी
- *78. श्री शैलेन्द्र कुमार

कुमारी ममता बनर्जी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्तावों पर मतदान हुआ और अस्वीकृत हुए। वर्ष 2009-10 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 16 वर्ष 2009-10 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई धनराशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

12. सरकारी विधेयक — पुरः स्थापित
विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2009

13. सरकारी विधेयक — पारित
विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2009

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

कुमारी ममता बनर्जी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 7.14 बजे

(लोक सभा बुधवार, 16 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

*सायं 6.43 बजे से सायं 7.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 16 दिसम्बर, 2009/25 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 52

पूर्वाह्न 11.00 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

(सभा में निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.31 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्यसूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 381—400 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 4167—4396 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी (संस्कृति स्कूल), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी (संस्कृति स्कूल), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार न किए जाने के कारणों को बताने वाला ज्ञापन।
- (16) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (क) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2008-09 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2008-09 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा का वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (27) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-09 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (28) (एक) नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन, में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) सलीम अली सेन्टर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सलीम अली सेन्टर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) सीपीआर इन्वार्नमेंटल एजुकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सीपीआर इन्वार्नमेंटल एजुकेशन सेन्टर, चेन्नई के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) सेन्टर फॉर इन्वार्नमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्टर फॉर इन्वार्नमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 2942 (अ) जो 18 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 27 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1621 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का० आ० 2125(अ) जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का० आ० 521(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का० आ० 2493(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- (तीन) का० आ० 2494(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- (चार) का० आ० 2495 (अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

- (पांच) का०आ० 2964(अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्ति पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किया गया है।
- (छह) का०आ० 2965(अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दाखिल करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया गया है।
- (सात) का०आ० 2966(अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्ति झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किया गया है।
- (आठ) का०आ० 2967(अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दाखिल करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया गया है।
- (नौ) का०आ० 2968(अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 20 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किया गया है।
- (दस) का०आ० 2969(अ) जो 21 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दाखिल करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया गया है।

- (35) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कन्जर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) गोवा सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, पणजी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) गोवा सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, पणजी के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) गोवा सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, पणजी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोवा सर्वशिक्षा अभियान सोसाइटी, पणजी के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्वशिक्षा अभियान राज्य मिशन त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (54) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) पश्चिम बंग सर्वशिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पश्चिम बंग सर्वशिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (61) नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (64) (एक) महिला समाख्या-बिहार, पटना के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) महिला समाख्या-बिहार, पटना के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजॉल के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, रूड़की के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त मद सं० (70) और (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) असम महिला समता सोसायटी, गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (81) (एक) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कवरत्ती के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कवरत्ती के वर्ष 2005-2006 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) (एक) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्षद्वीप सर्वशिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, कवरत्ती के वर्ष 2006-2007 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) (एक) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) सेन्ट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्वशिक्षा अभियान केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यक्रम (भाग-एक और दो) की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (92) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 से 2006-2007 तक के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(95) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 2009 को पारित विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 2009 को पारित झारखण्ड विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 2009 को पारित झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वी० किशोर चन्द्र एस्० देव ने नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2008 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 16 पर आधारित दिल्ली गुडगांव परियोजना के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी-निजी भागीदारी के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2009-10) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री आनंदराव विठोबा अडसुल ने आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सतपाल महाराज ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

- (1) 'वर्ष 2009-10 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) 'सशस्त्र बलों के लिए एकीकृत कमान के कार्यान्वयन की स्थिति' के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

8. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इन्द्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल ने कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री की हाल ही की रूस यात्रा के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (दो) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05, 2006-07, 2007-08 और 2008-09) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः पहले, चौदहवें, उन्नीसवें और इक्तीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

***11. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित**

उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग विधेयक, 2009।

अपराहन 12.06 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास हेतु इसे बुन्देलखण्ड के समान विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी द्वारा विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के अनंतपुर जिले के मूंगफली उत्पादकों के लिए, जिन्हें अपर्याप्त वर्षा के कारण अपनी उपज की क्षति हुई, को विशेष वित्तीय पैकेज की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री के० पी० धनपालन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद में दीर्घावधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खेल-कूद कार्यकलाप को बढ़ावा देने हेतु एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम० के० राघवन द्वारा कालीकट से खाड़ी देश जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रामसिंहभाई पी० राठवा द्वारा गेल, बड़ोदरा, गुजरात द्वारा गैस पाइपलाईन बिछाए जाने के कारण, जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उन प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मनसुखभाई डी० वसावा द्वारा कराली और जम्बुसर के बीच तथा वोरभाटा और कोकरवाडा के बीच क्रमशः माही और नर्मदा नदियों पर पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराहन 12.12 बजे।

- (7) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के तमलुक, कोलाघाट, महिसादल और दुर्गाचक क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड की टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा मातृत्व स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे का निवारण करने तथा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवा का अधिकार कायम रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.06 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2009

लिया गया समय: 2 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री एस्० जयपाल रेड्डी द्वारा पेश किया गया। विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ। खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एस्० जयपाल रेड्डी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(दो) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2009

लिया गया समय: 2 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पेश किया गया। विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ। खंड 2 से 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2009

लिया गया समय: 2 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव डा० सी० पी० जोशी द्वारा पेश किया गया।
विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।
खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।
डा० सी० पी० जोशी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 12.13 बजे

(लोक सभा गुस्वार, 17 दिसंबर, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए
स्थगित हुई।)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 17 दिसम्बर, 2009/26 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 53

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401 और 404 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और
पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 406 और 407 के भी मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 402, 403, 405 और 408—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4397—4618 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (2) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलोर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदन—दिसम्बर, 2009 के बारे में 5वां वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2009 जो 26 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 127(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाईनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 2009 जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 848(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 859(अ) जो 25 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चीनी उपापन में व्यवधान को रोकने के लिए यह छूट दी गई है कि चीनी के उत्पादन में से 20% की सीमा तक को जूट से भिन्न अन्य पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जा सकता है।
- (दो) का० आ० 653(अ) जो 9 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खाद्यान्न उपापन में व्यवधान को रोकने के लिए रबी विपणन सीजन 2009-2010 के लिए 0.75 लाख गांठों की कुल मात्रा की सीमा तक छूट प्रदान की गई है।
- (तीन) का० आ० 363(अ) जो 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खाद्यान्न उपापन में व्यवधान को रोकने के लिए रबी विपणन सीजन 2009-2010 के लिए 2 लाख गांठों की कुल मात्रा की सीमा तक छूट प्रदान की गई है।
- (चार) का०आ० 2409(अ) जो 22 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खाद्यान्न और चीनी की 100% पैकेजिंग जूट पैकेजिंग सामग्री में अनिवार्य की गई है।
- (17) उपर्युक्त (16) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) हैण्डिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूमस एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हैण्डिक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूमस एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (19) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (22) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 30(1) की उपधारा (1) के अंतर्गत राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिनियम जो 24 अक्टूबर, 2009 के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 149 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (23) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों के सुरक्षा मानदंडों सहित तकनीकी मानदंड और विनिर्देश) विनियम, 2009 जो 11 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि-808(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एच एम टी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एच एम टी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा 16 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर, 2009 को पारित आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (दो) कि राज्य सभा 16 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 14 दिसम्बर, 2009 को पारित प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डा० के० सांबासिवा राव ने लोक लेखा समिति (2009-2010) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित आमाम परिवर्तन तथा नई लाईन परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन प्रणालियों के बारे में समिति के 61वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

- (2) गृह मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित सुनामी राहत और पुनर्वास के बारे में समिति के 67वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।
- (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों का अविवेकपूर्ण ढंग से जारी किए जाने के बारे में समिति के 69वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

6. प्राक्कलन समिति का विवरण

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फेडरेशन लिमिटेड (नेफेड)' विषय पर प्राक्कलन समिति (14वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने "उत्तर-पूर्व रेलवे (एनईआर) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार" विषय पर समिति के 32वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय - एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखें।

8. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मिलिंद देवरा ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूर संचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) वर्ष 2009-10 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) वर्ष 2009-10 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का कार्यान्वयन' के बारे में 31वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

10. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भक्त चरण दास ने "मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि" के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले विभाग (खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

12. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानन्द बिस्वाल ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2009-10 की अनुदानों की मांगों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन।

- (3) 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यकरण' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।
- (4) 'हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।
- (5) 'देश में बुनकरों की सामान्य दशाएं-बुनकरों के सरसिला कन्सेन्ट्रेशन जोन का एक केस अध्ययन' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

13. श्रम संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री हेमानन्द बिस्वाल ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित "वस्त्र मिलों की रुग्णता बंदी" के बारे में 27वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर श्रम संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) (14वीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-आगे-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में समिति का पहला प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।
- (2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

15. जल संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्रीमती अनु टंडन ने वर्ष 2008-09 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 9वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) के 10वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-आगे-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

16. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डा० पी०एल० पुनिया ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

- (1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
- (4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
- (5) ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

17. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-2010) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

18. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “लोक शिकायत निवारण तंत्र” के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के “की-गई-कार्यवाही उत्तरों” के बारे में 35वां प्रतिवेदन।
- (2) “संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008” के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

19. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि मंत्रालय से संबंधित कृषि उपज के लिए मूल्य निर्धारण नीति के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.11 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

20. प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा 16 दिसम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

21. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) *सिक्का-निर्माण विधेयक, 2009*

(दो) *मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2009*

22. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एस्० एस्० रामासुब्बू द्वारा मदुरै-तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी रेल लाईन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एन्० एस्० वी० चित्तन द्वारा देश में नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डा० पी० एल्० पुनिया द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों से धान की खरीद हेतु उचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पात्र विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण के संवितरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा हिम्मतनगर, गुजरात में क्षेत्र के ग्रामीणों के लाभ के लिए अहमदाबाद-खेदब्रह्मा रेल लाईन पर रेलवे द्वार सं० 93 को खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत, में उतरन रेल अंडरब्रिज की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डा० राजन सुशान्त द्वारा देश के विभिन्न भागों में डा० भीम राव अम्बेडकर और अन्य प्रसिद्ध दलित नेताओं के सम्मान में स्मारक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डा० रत्ना डे द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री पी० के० बिजू द्वारा कोलनगोड-त्रिसुर रेल परियोजना का निर्माण कराए जाने और मदुरै से कोलनगोड वाया पोल्लाची, में आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री प्रशांत कुमार मजूमदार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को और प्रभावी बनाए जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री थोल तिरुमावलावन द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनका रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.04 बजे

23. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 11 मिनट

श्री बसुदेव आचार्य ने देश में नक्सली और माओवादी गतिविधियों में हुई वृद्धि के बारे में चर्चा उठाई।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.15 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2009/27 अग्रहायण, 1931 (शक)

संख्या 54

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री के०सी० शर्मा; चौथी लोक सभा के सदस्य श्री एस० जेवियर, तीसरी, चौथी, पांचवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री सुरेन्द्र पाल सिंह और चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री शंभू नाथ के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 422—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4619—4848 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.22 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) वर्ष 2009-10 की मध्य अवधि समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुख की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) वित्तीय वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुख की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) भारतीय रेल पर श्वेत पत्र।
 - (दो) भारतीय रेल के लिए दृष्टि 2020।
- (4) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (14) (एक) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के बारहवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यक्रम की समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही के बारे में 13वां प्रगति प्रतिवेदन—दिसम्बर, 2009, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल) (2009-10 का संख्यांक 6) का प्रतिवेदन—भूमि और विकास कार्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (दो) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल)(2009-10 का संख्यांक 8) का प्रतिवेदन—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (21) 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—
- (एक) महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद।
- (दो) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा।
- (तीन) एमजीबी ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड़।
- (चार) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग।
- (पांच) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला।
- (छह) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।
- (सात) बैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपदा, मयूरभंज।
- (आठ) रीवा सिद्धि ग्रामीण बैंक, रीवा।
- (नौ) चिकमगलूर-कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर।
- (दस) वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक, सोलापुर।

- (ग्यारह) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट।
- (बारह) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर।
- (तेरह) लांगपी देहांगी रूरल बैंक, दिफू, कार्बी आंगलॉंग।
- (चौदह) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल।
- (पन्द्रह) उत्कल ग्राम्य बैंक, बोलंगीर।
- (सोलह) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी।
- (सत्रह) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला।
- (अठारह) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर।
- (उन्नीस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा।
- (बीस) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर।
- (इक्कीस) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर।
- (बाईस) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी।
- (तेईस) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार।
- (चौबीस) कामराज रूरल बैंक, सोपोर।
- (पच्चीस) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम।
- (छब्बीस) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मलापुरम।
- (सत्ताईस) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद।
- (अट्ठाईस) पुदुवई भारतीय ग्राम बैंक, पुडुचेरी।
- (उनतीस) पांड्यन ग्राम बैंक, विरुधूनगर।
- (तीस) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद।
- (इकतीस) लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीतापुर।
- (बत्तीस) त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ओराई।
- (तैंतीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा।

- (चौतीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा।
- (पैंतीस) रुसिकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहामपुर।
- (छत्तीस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी।
- (सैंतीस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर।
- (अड़तीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़।
- (उनतालीस) कलिंग ग्रामीण बैंक, कटक।
- (चालीस) झारखंड ग्रामीण बैंक, रांची।
- (इकतालीस) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ।
- (बयालीस) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक।
- (तैंतालीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी।
- (चवालीस) जम्मू रूरल बैंक, नरवाल, जम्मू।
- (पैंतालीस) हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा।
- (छियालीस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव।
- (सैंतालीस) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर।
- (अड़तालीस) देना गुजरात ग्रामीण बैंक गांधीनगर।
- (उनचास) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर।
- (पचास) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर।
- (इक्यावन) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव।
- (बावन) कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक, मैसूर।
- (तिरपन) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली।
- (चौवन) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर।
- (पचपन) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया।
- (छप्पन) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच।

- (सत्तावन) आर्यवर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ।
- (अठावन) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, पापुम-पारे।
- (उनसठ) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा।
- (साठ) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल।
- (इकसठ) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी।
- (बासठ) विश्वेसरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या।
- (तिरसठ) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरगुजा।
- (चौंसठ) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका।
- (पैंसठ) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून।
- (छियासठ) सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा।
- (सइसठ) श्रेयस ग्रामीण बैंक, अलीगढ़।
- (अइसठ) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना।
- (उनहत्तर) सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सतपुड़ा।
- (सत्तर) सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक, मेरठ।
- (इकहत्तर) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर।
- (बहत्तर) पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर।
- (तिहत्तर) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला।
- (चौहत्तर) प्रथम बैंक, मुरादाबाद।
- (पचहत्तर) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा।
- (छिहत्तर) नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर।
- (सतहत्तर) नीलांचल ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर।
- (अठहत्तर) नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक, इन्दौर।
- (उन्यासी) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी।
- (अस्सी) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा।

- (इक्यासी) मिजोरम रूरल बैंक, आईजोल।
- (बयासी) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर।
- (तिरासी) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़।
- (चौरासी) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर।
- (पचासी) मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर।
- (छियासी) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना।
- (22) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यक्रम के बारे में समेकित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (24) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का सारवान अर्जन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2009 जो 6 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/20/182131 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009 जो 15 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853 में प्रकाशित हुए थे।
- (25) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2009 जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2383(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 18 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 2402(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2009 जो 18 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2384(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (26) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सा०का०नि० 849(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) सा०का०नि० 850(अ) जो 27 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 103/2008-सी०शु०(गै.टे.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (28) (एक) दामोदर वैली कारपोरेशन के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) दामोदर वैली कारपोरेशन के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रेडिंग लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/143/158/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 की उपधारा (3) के अंतर्गत भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2008 जो 25 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 107 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 101 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी दमण और दीव मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 30 सितम्बर, 2009 के दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडीटीआर/केएमएन/89/एफ-79/2009-2010/570 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

- (35) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा, के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा, का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (36) (एक) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरटरी डिजिजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लाला राम सरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरटरी डिजिजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेस, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेस, शिलांग के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसेस, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) 25 संस्थाओं, जिनके नाम तथा वर्ष विवरणों में उल्लिखित हैं, के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि 607(अ) जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 22 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या सांकाणि 46(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (44) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—
- (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हाजीपुर।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर।
- (चार) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।
- (पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता।
- (छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई।
- (सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, लखनऊ।
- (आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली।
- (नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग।
- (दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, शिमला।
- (ग्यारह) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा।
- (बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।
- (तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, (सोसायटी) गुरदासपुर।
- (चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा।

- (पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।
- (सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।
- (सत्रह) डा० अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।
- (अठारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।
- (उन्नीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल।
- (बीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर।
- (45) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि० 687(अ) जो 18 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा

18 सितम्बर, 2009 को उक्त अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (ख) के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (49) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि 1865(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जुलाई, 2009 को उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क), धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क), 15, 17, 18, 32 और 33 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 के अंतर्गत जारी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिषेध (संशोधन) नियम, 2009 जो 15 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 680(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51)* निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन (खण्ड 2) का अनुबंध।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा को 15 दिसम्बर, 2009 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2009 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (दो) कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 2009 को पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

* अपराहन 12.07 बजे

(तीन) कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 2009 को पारित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा संशोधन विधेयक, 2009 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश
श्री उदय सिंह ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई पहली से चौथी बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

7. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

डा० के० सांबासिवा राव ने लोक लेखा समिति (2009-10) के स्वीकृत अनुदानों पर अधिशेष तथा प्रभारित विनियोगों (2007-08) के बारे में 7वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहला प्रतिवेदन;
- (2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन; और
- (3) 'कृषि उत्पाद की मूल्य निर्धारण नीति' के बारे में कृषि संबंधी समिति (2007-08) के 41वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 19वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर ऊर्जा

संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

- (2) 'अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपी)' विषय पर 22वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- (3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 26वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- (4) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 25वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

10. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री टी० आर० बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'भूमि प्रबंधन' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- (2) 'रेल नेटवर्क का विस्तार—नई लाइनें आमाम परिवर्तन, दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

- (3) 'नए रेल जोनों का कार्यनिष्पादन' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 37वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- (4) 'रेलवे में औद्योगिक संबंध तथा कर्मचारिवृन्द कल्याण' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- (5) 'सब-अर्बन और मेट्रो रेल' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 39वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

11. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री संजय भोई ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पहला प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।
- (3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री दारा सिंह चौहान ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 'साहाय्य सामानों और साधनों की खरीद/फिटिंग के लिए निःशक्त व्यक्तियों को सहायता की स्कीम (एडीआईपी)' के बारे में 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 37वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

- (2) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 39वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 40वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

13. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डा० ज्योति मिर्धा ने 'वैक्सीन बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात् सेंट्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीआरआई), कसौली, दि पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पीआईआई), कनूर, और बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी (बीसीजीवीएल), चेन्नई से संबंधित प्रमुख मुद्दे' के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (दो) पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.09 बजे

15. ध्यानाकर्षण

श्री हंसराज गं अहीर ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के बारे में वैलिएथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार की स्वीकृति से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराहन 12.11 बजे

16. प्रस्ताव

श्री उदय सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 16 दिसम्बर, 2009 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009

(दो) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009

18. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा महाराष्ट्र में वडसा-गढ़चिरौली रेल लाईन को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हंसराज गं अहीर द्वारा कुटीर उद्योगों में लगे परम्परागत कर्मकारों को 'अत्यंत पिछड़े वर्ग' के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल द्वारा राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने हेतु गुजरात सरकार के प्रस्ताव में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में से एक नया पूर्वांचल राज्य बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा रामगंज मंडी से भोपाल वाया झालावाड़ रेल लाईन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार में सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीपरा ब्लॉक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डा० सुचारू रंजन हल्दर द्वारा पश्चिम बंगाल में रानाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री पी० करुणाकरन द्वारा केरल में कासरगौड़ और होसदुर्ग तालुकों के 'मराठी' समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा उड़ीसा में देलांग से पुरी तक रेल लाईन के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त निधि प्रदान कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डा० तरुण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित सुन्दरवन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाईल फोन सेवाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.13 बजे

19. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) उच्च न्यायालय वाणिज्यक प्रभाग विधेयक, 2009

लिया गया समय: 1 मिनट

डा० एम० वीरप्पा मोइली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ। खंड 2 से 19 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डा० एम० वीरप्पा मोइली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 12.14 बजे

(दो) *नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009*

लिया गया समय: 2 मिनट

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(तीन) *मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2009*

लिया गया समय : 1 मिनट

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(चार)* *विधिक मापविज्ञान विधेयक, 2009, राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय : 2 मिनट

प्रो० के०वी० थॉमस द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 57 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

*अपराहन 12.19 बजे

प्रो० के०वी० थॉमस ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 12.17 बजे

(पांच) व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2009

लिया गया समय : 2 मिनट

श्री आनंद शर्मा की ओर से श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 10 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 12.21 बजे

20. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पन्द्रहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 12.31 बजे

21. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.32 बजे

(लोक सभा अपराह्न 12.32 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

पी० डी० टी० आचारी,
महासचिव।